



मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

मध्यप्रदेश वनांचल संदेश

अप्रैल-जून, 2019

RNI Reference No : 1322876 • Title Code : MPHIN34795 • Year : 3 • Edition : 11

MADHYA PRADESH VANANCHAL SANDESH

April-June, 2019







Patron :**J.K. Mohanty**

Principal Chief Conservator of Forests
(HOFF), Satpura Bhawan, Bhopal

Editorial Board :**Rajesh Shrivastava**

Principal Chief Conservator of Forests
(Research, Extension and Lok Vaniki)

Dr. Abhay Kumar Patil, IFS

Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Complaints and Redressal)

Alok Kumar, IFS

Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Wildlife)

Pushkar Singh, IFS

Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Development)

S.P. Jain

DCF

B.K. Dhar

Prachar Adhikari

Editor :**Dr. P.C. Dubey, IFS**

Additional Principal Chief Conservator of Forests
(Research, Extension and Lok Vaniki)

Prachar Prasar Prakosth Team :**Neeraj Gautam**, Research Coordinator**Diwakar Pandit**, Extension Coordinator**Contact :**

Prachar Prasar Prakosth, Room No. 140,
Satpura Bhawan, Bhopal

Email : dcfpracharprasar@mp.gov.in

Contact : 07552524293

Owner & Publisher :

Prachar Prasar Prakosth (M.P.F.D.)

Printed by Madhya Pradesh Madhyam, Bhopal

**Hydroponic System Jabalpur, R.E.**

The views expressed in various articles belong to the authors of the article. Madhya Pradesh Forest Department may not agree with the views expressed by authors and will not be responsible for the correctness of the article. Madhya Pradesh Forest Department is not responsible for any liability arising out of context/text of the article published in this magazine.

No part of this magazine can be reproduced and published without the consent of the publisher of Madhya Pradesh Vananchal Sandesh. All legal disputes will come under the jurisdiction of Bhopal, Madhya Pradesh.

Published by :- APCCF (R/E) on behalf of MP Forest Department.

Printed by :- Super Printers & Plastics Works on behalf of Madhya Pradesh Madhyam.

Printed at :- Super Printers & Plastics Works, Plot No. 22 Nadeem House, Press Complex Zone 1 MP Nagar, Bhopal.

Published at Room No. 140, Prachar Prasar Prakosth, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.

Email :- pracharprasarprakosth@mp.gov.in, Contact No. 0755-2524293, Editor :- Dr. P.C. Dubey, APCCF (R/E)

इस बार के अंक में



► 01

► वन मंत्री महोदय का कान्हा प्रवास 01-02

► विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जन चेतना कार्यक्रम 03

► सीडबॉल निर्माण - एक नवाचार

सीडबॉल द्वारा बीज रोपण 04-05

सीडबॉल तैयारी 06

सीडबॉल रोपण 07



सीडबॉल अंकुरण 08

► अनुसंधान एवं विस्तार की रोपणियों में जल संरक्षण एवं संचयन 09-10

► वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जल संरक्षण संरचनाएं 11

► विविध

रोपणी में योग 12

आओ बाघ बनाएं मिलकर बाघ बचाएं 13



► 07



► 12



► STF की गतिविधियां

14-15

► राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र, मध्य क्षेत्र (RCFC) जबलपुर द्वारा औषधीय पौधों की उन्नत कृषि तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 16

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून, 2019 का आयोजन 17

माननीय मंत्री, वन, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में दिनांक 24.06.2019 को समीक्षा बैठक 19

माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा विभागीय गतिविधियों में भागीदारी 20

► सागौन (Teak) टेक्टोना ग्रेन्डीस (Tectona grandis) पर लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनके नियंत्रण की जानकारी

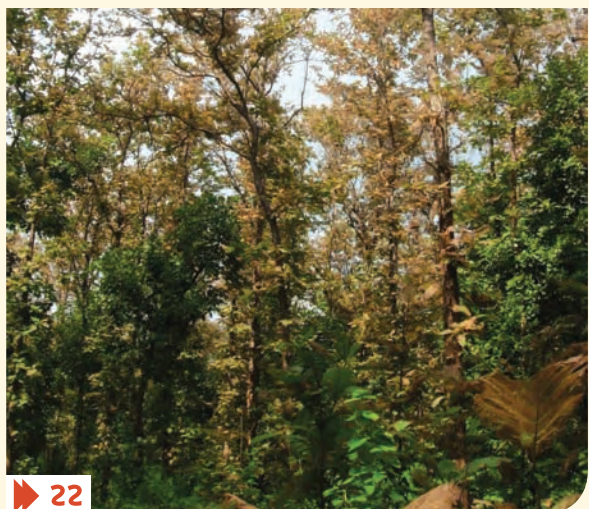
1. सागौन वृक्षों की पत्तियों को कंकालकृत करने वाले कीट प्रकोप का नियंत्रण 21

2. सागौन वृक्षों की पत्तियों को खाने वाले कीट प्रकोप का नियंत्रण 23

3. सागौन वन रोपणियों में सफेद गीड़ार (व्हाइट ग्रब) का प्रकोप एवं उसका एकीकृत कीट प्रबंध 24



► 19



► 22



► 27

5. जैविक कीट नाशक तैयार करने के नुस्खे 25-26

► देवरी घड़ियाल प्रजनन केन्द्र - मुरैना 27

► उदयगिरी ईको पर्यटन केन्द्र सामान्य वन मण्डल, विदिशा 28

► नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काष्ठ विदोहन के सफलता की कहानी 29-30

► अनुसंधान विस्तार रोपणियों में नवीन तकनीकी का उपयोग 31-34

► विभागीय समीक्षा एवं क्षेत्रीय कार्यशालायें 35

► अखबारों के आइनों से 36-39

► सूरज सदा रोहिणी में ही 40



► 28



कमल नाथ
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल - 462004

सं.क्र. : 148, 13 जून, 2019

संदेश

हर्ष का विषय है कि सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन के खतरों और हरियाली बचाने के लिये जनचेतना का निरंतर विस्तार हो रहा है।

हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण का हरित सौंदर्य धन से नहीं सिर्फ आदर-भाव से निखरता है। हर नागरिक हरियाली का रक्षक बनने का संकल्प ले। पौधा लगायें। उसकी रक्षा करें। पौधारोपण सिर्फ पर्यावरण गतिविधि नहीं बल्कि धार्मिक-सांस्कृतिक गतिविधि भी है।

मैं आपसे वन महोत्सव में भागीदारी करने की अपेक्षा करता हूँ। हर नागरिक इससे जुड़े और पर्यावरण के प्रति अपनी सद्भावना अभिव्यक्त करें।

शुभकामनाओं सहित।

कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश



उमंग सिंघार
मंत्री
वन विभाग (म.प्र.)

ई-115/16, शिवाजी नगर, भोपाल
फोन : 0755-2440512
वि.क्षेत्र : (197-गंधवानी)
पुराने पोस्ट ऑफिस के पीछे
गंधवानी, जिला धार (म.प्र.)
फोन : 07292-222633
मंत्रालय कक्ष क्र. : VB-IIB-115

क्रमांक : 811/म.व./2019
भोपाल, दिनांक : 13/06/2019

संदेश

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वन तथा प्रकृति के प्रति जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार हमें पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा में पूरा सहयोग देना होगा, तभी हम भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे पायेंगे।

प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रभावी पहल हुई है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। प्रदेश में गठित 15 हजार से अधिक वन समितियां वन संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आप पौधा रोपण के लिए पौधे निकटतम वन रोपणियों से प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन कर वन रोपणियों से पौधे प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

मुझे आशा है कि प्रदेश को हरा-भरा बनाने में पंचायत संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठन अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

उमंग सिंघार
मंत्री, वन विभाग (म.प्र.)

संपादकीय

वनांचल संदेश का हर अंक अपने आप में बहुत सी विविधताओं के साथ प्रकाशित किया जाता रहा है। प्रस्तुत अंक में और अधिक रुचिपूर्ण एवं कई मौलिक विषयों को शामिल किया गया है। इस अंक में जल संरक्षण हेतु किये गये कार्यों को दर्शाया गया है जो समय के अनुसार महत्वपूर्ण गतिविधि है।

माननीय वन मंत्री जी द्वारा जबलपुर रोपणी का निरीक्षण, राज्य वन अनुसंधान केन्द्र का भ्रमण, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अवलोकन को शामिल किया गया है। इसी के साथ रोपणियों में सीडबॉल निर्माण में लोगों की भागीदारी एवं तकनीकी बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधों की बड़ी संख्या में दुर्लभ एवं संकटापन्न प्रजातियों की तैयारी एक विशिष्ट उपलब्धि रही है। आइये वर्षा ऋतु में कम से कम एक पौधा अवश्य लगायें।

डॉ. पी.सी. दुबे

वन मंत्री महोदय का कान्हा प्रवास

श्री उमंग सिंघार, माननीय वन मंत्री, म.प्र. शासन का दो दिवसीय शासकीय प्रवास पर दिनांक 24/06/2019 को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आगमन हुआ। वन मंत्री बनने के बाद प्रदेश में यह किसी भी संरक्षित क्षेत्र में उनका प्रथम प्रवास था।

वन मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया तथा कान्हा क्षेत्र संचालक द्वारा उन्हें वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से परिचित कराया गया। वन मंत्री महोदय ने कान्हा स्थित पार्क इन्टरप्रिटेशन सेन्टर का भी अवलोकन किया। अपने प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान अन्य वन्यप्राणी प्रजातियों के अतिरिक्त 9 बाघों के दर्शन भी किये। इस दौरान वन मंत्री महोदय द्वारा पार्क प्रबंधन संबंधी अनेक जानकारियां प्राप्त की गईं एवं उन्होंने समय-समय पर वन्यप्राणी संरक्षण संबंधी निर्देश भी दिये।

वन मंत्री महोदय द्वारा खटिया स्थित ईको सेन्टर में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र संचालक द्वारा एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसमें उन्होंने टाईगर रिजर्व के कोर एवं बफर वनमंडलों से संबंधित विभिन्न वन्यप्राणी संरक्षण एवं वानिकी संबंधी गतिविधियों के बारे में बताया। समीक्षा बैठक के दौरान वन मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों, गाईडों एवं वाहन चालकों आदि की समस्याएँ बहुत ध्यानपूर्वक सुनी गईं एवं इनके निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उन्हें आश्वस्त किया गया।



वन मंत्री का जबलपुर दौरा



वन मंत्री का शहरी रोपणी, जबलपुर का भ्रमण।



राज्य वन अनुसंधान संस्थान में श्री जी.एस. मिश्रा द्वारा रचित पुस्तक का वन मंत्री द्वारा विमोचन।



वन मंत्री द्वारा शहरी नर्सरी, जबलपुर में वाटर फिल्टर का लोकार्पण।

विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जन चेतना कार्यक्रम

5 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वन विहार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय "वायु प्रदूषण" था। श्री ए.के. जैन, सहायक संचालक द्वारा कार्यशाला के विषयवस्तु पर प्रकाश डाला गया। संचालक वन विहार डॉ. एस.पी. तिवारी द्वारा वन विहार के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण करने एवं वायु प्रदूषण न फैलाने हेतु शपथ दिलाई गई। डॉ. तिवारी द्वारा कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। दोनों प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों के मध्य संदेश प्रसारित हेतु पर्यावरण फ्रेंडली बैनर लगाये गये तथा आगंतुक पर्यटकों को पर्यावरण महत्व एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सहभागिता करने हेतु सहयोग मांगा गया। इस अवसर पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक रूप से पौधारोपण का कार्य भी किया गया।



सीडबॉल द्वारा बीज रोपण

सीडबॉल -

सीडबॉल मिट्टी एवम् बीज से बनी एक लगभग गोलाकार संरचना है जिसे अन्य नामों जैसे बीज बॉल, मिट्टी बॉल, बीज केप्सूल, अर्थ बॉल से भी जाना जाता है। इसका उपयोग बीज रोपण हेतु किया जाता है।

सीडबॉल की आवश्यकता -

बीजों को सीधे वन क्षेत्र में रोपित करने से बीजों को कीड़ों एवं अन्य जीव जन्तुओं, पक्षियों से हानि की संभावना बनी रहती है। साथ ही ग्रीष्म ऋतु में बीज हवा में उड़ कर बिखर जाते हैं तथा वर्षा ऋतु में एक दो जगह पर पानी से बहकर एकत्र भी हो जाते हैं। बीज सीधे क्षेत्र में रोपण से स्थानीय स्तर पर मृदा कम होने या कड़ी होने के कारण अंकुरित नई पौध को तत्काल पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते, जिससे पौधे के मृत होने की संभावना रहती है। इसके विपरीत सीडबॉल में बीज सुरक्षित रहते हैं तथा वर्षा के सम्पर्क में बीज के आने पर अंकुरण के साथ ही मृदा एवम् पोषक तत्व की उपलब्धता से उनके जीवित रहने एवम् बढ़ने की अच्छी संभावना बनी रहती है।

सीडबॉल निर्माण विधि -

सीडबॉल निर्माण कार्य अत्यन्त सरल है। स्थानीय मिट्टी, जैविक खाद एवम् स्थानीय बीज का उपयोग कर छोटी-छोटी लगभग गोले आकार की गोलियों के रूप में इसे तैयार किया जाता है। सीडबॉल निर्माण में स्थानीय स्तर पर वन क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्र से बीजों का संग्रहण एवं स्थानीय स्तर पर ही सीडबॉल तैयार कर वन या अन्य क्षेत्रों में बुआई की जानी चाहिये।

सीडबॉल निर्माण में तीन भाग उपजाऊ मिट्टी (प्रमुख रूप से काली मिट्टी), एक भाग वर्मी कम्पोस्ट या जैविक खाद मिलाकर तैयार किया जाता है। मिट्टी में थोड़ी मात्रा में भूसा मिलाने से सीडबॉल फटने की संभावना कम रहेगी। एक किलो मिट्टी में दस से बीस ग्राम नीमखली मिलाना चाहिये। काली मिट्टी सीडबॉल को बाँधने तथा उसमें नमी बनाये रखने में सहायक होती है तथा जैविक खाद, बीज अंकुरण के पश्चात नई पौध को पोषकतत्व प्रदाय करने में सहायक होते हैं। मिट्टी में बीज मिलाने के पूर्व एक

किलो बीज में 10 ग्राम ट्राइकोडरमा मिलाना चाहिए जिससे अंकुरित हुई पौध को हानिकारक कवक (फंगस) से हानि न हो। बीजों को सीडबॉल में मिलाने के पूर्व उसे जीवामृत (जिसे गोबर, गौमूत्र, थोड़ी मात्रा में दाल, गुड़ एवम् मिट्टी मिलाकर तैयार किया जाता है) से उपचारित कर मिट्टी में मिलाने से बीजों के अंकुरण एवं नई पौध की बढ़त में सहायक होगा। सीडबॉल अलग-अलग प्रजातियों के पृथक बनाये जाना चाहिये। दो से तीन प्रजाति के बीज मिलाकर भी सीडबॉल तैयार कर सकते हैं परन्तु ध्यान रखना होगा की ये प्रजातियाँ एक दूसरे की सहयोगी हों। बीज के उपयोग के पूर्व प्राकृतिक रूप से उनके अपक्षरण (वेदरिंग) प्रक्रिया एवं अंकुरण अवधि का ज्ञान होना जरूरी है।

सीडबॉल निर्माण हाथ से तथा मशीन से भी किया जा सकता है। सीडबॉल का आकर बीज के आकर पर निर्भर करता है। सामान्यतया 0.5 इंच से 1.0 इंच व्यास का सीडबॉल बनाना चाहिये। सीडबॉल निर्माण के पश्चात उसे छाया में तीन से चार दिन तक सुखाना चाहिये। सीडबॉल निर्माण में यह भी ध्यान रखा जाये की मिट्टी केवल हल्की नम होनी चाहिए नहीं तो मिट्टी में ज्यादा नमी होने पर बीज सीडबॉल में ही रोपण के पूर्व अंकुरित होना प्रारंभ हो जायेंगे। बहुत छोटे बीजों जैसे घास, बांस, हल्दू आदि हेतु सीडबॉल 0.5 इंच व्यास के आकार का बनाया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि छोटा या बड़ा आकार के बीज के अनुरूप ही अंकुरित नई पौध का प्रांकुर अर्थात नया तना एवं जड़ की लम्बाई भी छोटी एवं बड़ी आकार की होगी। बीज छोटा हो तो छोटे आकार के सीडबॉल पर बीज सीडबॉल के ऊपरी सतह के नजदीक स्थित रहेगा, जिससे अंकुरण के साथ ही जड़ें मृदा के सम्पर्क में शीघ्र आ जावेगी एवम् पौधों को प्रकाश भी शीघ्र मिल सकेगा। बड़े आकार के बीज जैसे आँवला, सिरस, खम्हार, सागौन, बीजा, तिन्सा, हर्षा, बहेड़ा, नीम, महुआ, जामुन आदि 1.0 से 1.5 इंच व्यास का सीडबॉल बनाना चाहिये, जिससे अंकुरण के पश्चात पौधों को शीघ्र प्रकाश प्राप्त होगा एवम् जड़ें मृदा के सम्पर्क में आ जायेंगी जिससे अंकुरित पौधा शीघ्र स्थापित हो पायेगा। सीडबॉल चपटे आकार के भी बनाये जा सकते हैं। पूरी तरह से गोला आकार का सीडबॉल बनाया जाना जरूरी नहीं है।

सीडबॉल की अवधि -

सीडबॉल की अवधि से आशय है कि रोपण के कितनी अवधि पूर्व सीडबॉल बना लिया जावे। सीडबॉल निर्माण एवम् रोपण अवधि के विषय में बीजों की सुसुप्तावस्था, अंकुरण प्रतिशत, बीज का आकार, बीज के स्वभाव आदि की जानकारी होने से अंकुरण, बीज उपचार आदि विषय पर सीडबॉल अवधि निर्धारण किया जाना चाहिए अर्थात् कितनी अवधि तक बीज सीडबॉल के रूप में भंडारित (संग्रहित) रखा जा सकता है।

बीज चयन -

सीडबॉल निर्माण में प्रमुख रूप से स्थानीय बीज जैसे हर्षा, बहेड़ा, कुसुम, करंज, जामुन, नीम, इमली, सिरस, लेडिया, चिरोल, बीजा, आचार, गुगल, महुआ, सीताफल, तिन्सा, खेर, बबूल, पलास, आँवला तेन्दु, उपचारित सागौन, बांस एवं अन्य स्थानीय घास बीजों का सीडबॉल में उपयोग किया जाना चाहिये। एक इंच के सीडबॉल में 3-4 बीज रखा जाना पर्याप्त होगा। विभिन्न प्रजातियों के बीज के आकार के अनुसार बीजों की संख्या सीडबॉल में कम भी हो सकती है।

सीडबॉल रोपण -

पौधों की प्रजातियों को ध्यान में रखकर सीडबॉल से सीडबॉल की दूरी निर्धारित की जाना चाहिये। घास प्रजातियों में अधिकतम एक फुट की दूरी रखनी चाहिये तथा वृक्ष प्रजातियों हेतु न्यूनतम 1-1 मीटर दूरी रखनी चाहिये। सीडबॉल रोपण का कार्य चयनित स्थल पर करना चाहिये जिससे कि अंकुरित बीजों से आई नई पौध की देखरेख की जा सके। जिस स्थान पर रोपण किया जावे उन स्थानों को मानचित्र पर चिन्हांकित भी किया जाना चाहिए। सीडबॉल जिस स्थल पर डाले जावें उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जावे। उचित होगा की दो से पाँच हेक्टेयर क्षेत्र में सीडबॉल डाले जायें। वन क्षेत्र में झाड़ी के नीचे भी सीडबॉल डाले जायें जिससे बीज के अंकुरण के साथ नई पौध को चराई से सुरक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। सीडबॉल का रोपण सामान्यता वर्षा के पूर्व कर दिया जावे जिससे की वर्षा के साथ बीजों का अंकुरण आसानी से हो सके।

देखरेख -

बीज सीडबॉल के अन्दर सुरक्षित रहते हैं तथा अनुकूल वातावरण के मिलते ही अंकुरण प्रारंभ होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्षेत्र में मृदा उपचार अर्थात् मिट्टी की हल्की गुड़ाई सीडबॉल रोपण के पूर्व करनी चाहिये साथ ही आवश्यकतानुसार एक-दो निंदाई भी बीज अंकुरण पश्चात

आई नई पौध की की जानी चाहिए। निंदाई से प्राप्त खर-पतवार वहीं पर मृदा में दबा दें जिससे वे भविष्य में जैविक खाद के रूप में बदल जाये। क्षेत्र की चराई एवम् अग्नि से सुरक्षा रखनी चाहिये। अंकुरित पौध के 1 फुट आकार होने पर निंदाई/गुड़ाई/थाला बनाये जाने का कार्य विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिये।

प्रशिक्षण -

सीडबॉल निर्माण, बीज संग्रहण, सीडबॉल डालने हेतु तथा अंकुरण से स्थापित नई पौध के देख-रेख हेतु स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाना चाहिए।

मॉनिटरिंग एवम् भागीदारी -

मॉनिटरिंग प्रत्येक तीन माह पश्चात् की जावे, जिसमें सीडबॉल में स्थित बीजों के अंकुरण का परिणाम प्राप्त किया जा सके एवम् इन्हें स्थापित होने तक समय-समय बीज अंकुरण से तैयार नये पौधों की देख-रेख की जावे। देख-रेख कार्य में सुरक्षा, निंदाई-गुड़ाई, छोटे आकार का थाला बनाना आदि कार्य शामिल किया जावे। अंकुरण एवम् पौधों की स्थिति की जानकारी रोपण पंजी में दर्ज की जावे। मॉनिटरिंग कार्य 3 वर्षों तक किया जावे जिसमें अंकुरण एवम् पौधों के रूप में स्थापित होने तक का विवरण रखा जा सके जिससे सीडबॉल रोपण के परिणाम को ज्ञात किया जा सके। सीडबॉल निर्माण एवम् रोपण कार्य में स्थानीय लोगों/वन समितियों/संस्थाओं की भागीदारी लिया जावे।

सारांश

प्रदेश में प्रथम बार बड़े स्तर पर व्यवस्थित ढंग से सीडबॉल निर्माण, रोपण के विषय में प्रयास किया गया है। सीडबॉल निर्माण में लोगों की भागीदारी, स्थानीय मृदा, स्थानीय बीज का उपयोग किया गया है। प्रयोग के तौर पर किये गये इस प्रयास पर अध्ययन किया जावेगा तथा प्राप्त परिणामों का विश्लेषण कर इसे और अधिक प्रभावी रूप दिया जावेगा।

सामान्य रूप से अनुकूल परिस्थितियाँ हों तो सीडबॉल से बीजों का अंकुरण 40 से 50 प्रतिशत तक प्राप्त होने की संभावना रहती है। सीडबॉल द्वारा रोपण एक सरल एवम् किफायती तकनीक है जिसके माध्यम से बीज रोपण के प्रयास किये जाने चाहिये। मॉनिटरिंग से प्राप्त परिणामों के आधार पर आगामी वर्षों हेतु सीडबॉल निर्माण, नई पौध के देखरेख हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं अन्य जरूरी गतिविधियों को शामिल किया जावेगा।

सीडबॉल तैयारी



सागर वृत्त



रतलाम वृत्त



भोपाल वृत्त



भोपाल वृत्त



झाबुआ वृत्त



रीवा वृत्त



जनभागीदारी से सीडबॉल
निर्माण, ग्वालियर वृत्त

सीडबॉल रोपण



रीवा वृत्त



रीवा वृत्त



सागर वृत्त



ग्वालियर वृत्त

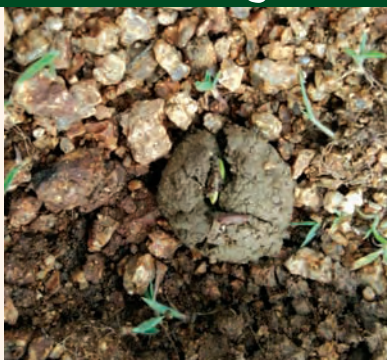


भोपाल वृत्त

सीडबॉल अंकुरण



सागर वृत्त



रीवा वृत्त



भोपाल वृत्त



रीवा वृत्त



रीवा वृत्त



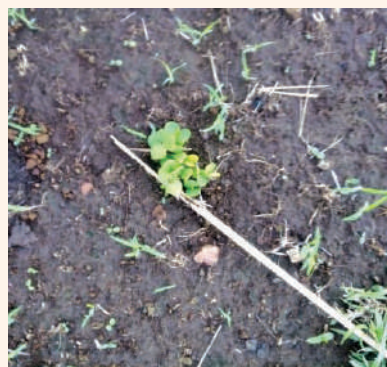
सागर वृत्त



दमोह वृत्त



दमोह वृत्त



भोपाल वृत्त



भोपाल वृत्त



झाबुआ वृत्त



झाबुआ वृत्त

अनुसंधान एवं विस्तार की रोपणियों में जल संरक्षण एवं संचयन

निरंतर विकास, सीमित प्राकृतिक संसाधन, सूखते जलस्रोत एवं घटते भूजल स्तर के कारण वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है इसके लिए अनेक नई-नई सफल तकनीकों का विकास हुआ है। इन तकनीकों का इस्तेमाल अनुसंधान विस्तार की रोपणियों में भी शुरू किया गया है ताकि इन विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव हमारी रोपणियों पर कम से कम पड़े। इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीकों का विवरण।

1. Micro Irrigation Technique से सिंचाई से पानी का अनावश्यक सतही वाष्पीकरण कम होगा एवं कम से कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सके।
2. गर्मियों में पानी की आपूर्ति के लिए stop dam निर्मित किया जा रहा है जिससे गर्मियों के दिनों में पौधों की सिंचाई की जा सके।
3. वर्षा जल के संचयन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक का इस्तेमाल जिसमें बेकार एवं बंजर जमीन पर छोटे-छोटे गड्ढे बनाकर वर्षा जल को बह जाने से रोका जाता है ताकि वे धीरे-धीरे जमीन में समा जाये और भूजल स्तर को बढ़ा सके।
4. Tube well रिचार्ज, छोटी-छोटी तलईयाँ का निर्माण कार्य किया गया।



रतलाम वृत्त



इंदौर वृत्त



रतलाम वृत्त



देवास, इंदौर वृत्त



जबलपुर वृत्त



इंदौर वृत्त



इंदौर वृत्त



जबलपुर वृत्त

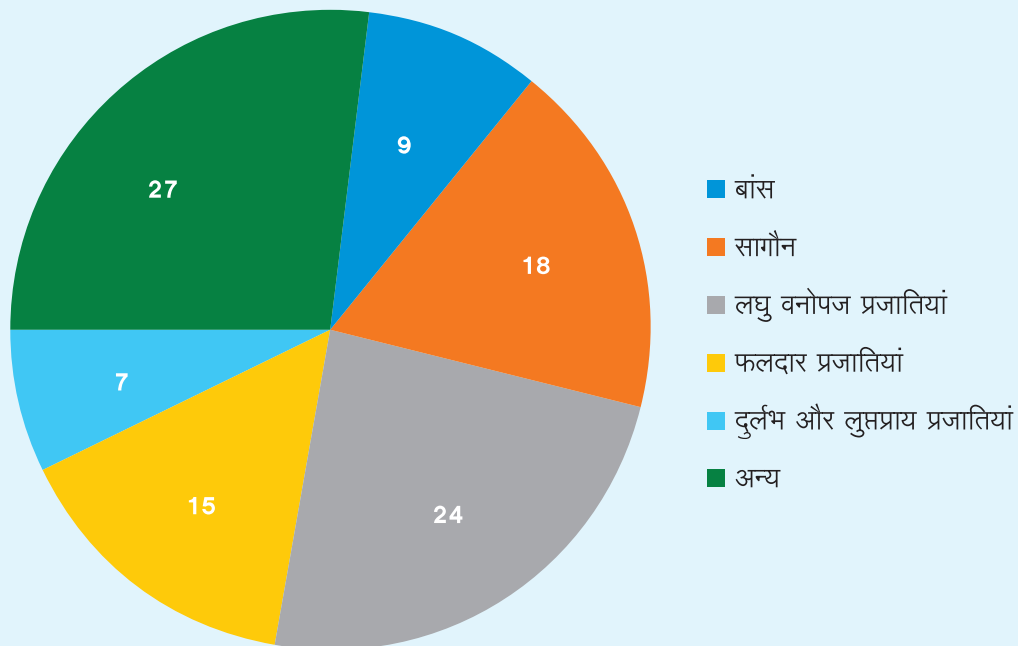


खंडवा वृत्त

अनुसंधान विस्तार के रोपणियों में उपलब्ध पौधों का जानकारी

प्रजाति	कुल योग	प्रतिशत
बांस	8534653	9
सागौन	16807536	16
लघु वनोपज प्रजातियां	22961854	40
फलदार प्रजातियां	13867651	23
दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां	6276512	7
अन्य	25398277	6
योग	93846483	100
सागौन रूटशूट	6503280	
बांस राइजोम	14760131	
योग	21263411	
कुल योग	115109894	

प्रतिशत



वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जल संरक्षण संरचनाएं

बढ़ते तापक्रम एवं घटते वर्षा दिनों से वन विहार में ग्रीष्मकाल में पानी की व्यवस्था एक गंभीर समस्या के रूप में न बदले इस हेतु 5 परकोलेशन टैंक के अलावा, पुरानी स्थापित पानी की नहरों के गहरीकरण का कार्य किया गया। गेट क्रमांक 2 से विहार वीथिका के समानांतर पुरानी नहर का गहरीकरण कार्य किया गया, जिससे ग्रीष्मकाल में शाकाहारी वन्यप्राणियों को "पानी की व्यवस्था" सुदृढ़ हो सकेगी।

"हिरण बाड़े" के सामने से "स्नेक बाड़े" तक पूर्व स्थापित नहर जो कि लगभग 400 मीटर लम्बाई की है,



उसका गहरीकरण कार्य किया गया, जिससे शाकाहारी वन्यप्राणियों के बाड़ों के सामने यह नहर "मोट" का कार्य करेगी तथा वर्षा के पानी का संग्रहण एवं संरक्षण हो सकेगा।



नदी जीर्णोद्धार कार्यशाला पर 19 जून, 2019 को अनुसंधान विस्तार शाखा द्वारा निर्मित नर्मदा नदी डी.पी.आर., डायरेक्टर टी.एफ.आर.आई. को प्रदान करते हुए श्री जे.के. मोहन्ती (वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश वन विभाग) एवं श्री पी.सी. दुबे (ए.पी. सी.सी.एफ., अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी)



विविध

रोपणी में योग



अध्यक्ष म.प्र. विधानसभा द्वारा दिघोरी मंदिर रोपणी, सिवनी में आम के पौधे का रोपण किया गया।



वन अनुसंधान, रीवा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में योग गुरु अजय चौधरी एवं वरिष्ठ अधिकारीजन।



जे.एन.के.वी.वी. के वाइस चांसलर का परियट रोपणी, जबलपुर का भ्रमण।

आओ बाघ बनाएं मिलकर बाघ बचाएं

संपूर्ण विश्व में मध्यप्रदेश राज्य की पहचान बाघ प्रदेश के रूप में है। विगत वर्षों में मध्यप्रदेश में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने प्रदेश के वनों एवं वन्यप्राणी धरोहर को संरक्षित करने में सतत् रूप से अपना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान दिया है। जनसहयोग और शासन के प्रयासों का परिणाम है कि संपूर्ण प्रदेश में वन्यप्राणियों और विशेषकर बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बाघ संरक्षण के महत्व और जन सहयोग से बाघ संरक्षण की दिशा में मध्यप्रदेश के प्रयासों से संपूर्ण दुनिया को अवगत कराने की दृष्टि से 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर एक वृहद् बाघ कलाकृति का निर्माण मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। लगभग 7 मीटर X 11 मीटर आकार की

इस बाघ कलाकृति को 96 अलग-अलग टुकड़ों में प्रदेश के विभिन्न नगरों/ग्रामों में जन सहयोग से छापे लगाकर रंगा गया। बाघ के इस चित्र को रंगने के लिये विभिन्न वन्यप्राणियों के आकार के छाप किये गये। इस बाघ की कलाकृति में लोग अपनी छाप छोड़कर गये।

लगभग 50,000 से ज्यादा व्यक्तियों के सहयोग से बनी यह बाघ कलाकृति जो अपने भीतर हजारों वन्यप्राणियों की छाप समाहित किये गये हैं, वह बाघ के एक वन्यप्राणी के रूप में महत्व तथा वन्यप्राणी संरक्षण में मध्यप्रदेश के नागरिकों के सतत् योगदान का उत्कृष्ट प्रतीक है। सभी के सहयोग से बनने वाली इस बाघ कलाकृति का अनावरण 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर किया गया।

STF की गतिविधियां



मध्यप्रदेश वन विभाग के समस्त श्वान दल की कार्यशाला सह-समीक्षा बैठक दिनांक 24.03.2019 एवं 25.03.2019 को म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी भोपाल एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के सौजन्य से पचमढ़ी में सम्पन्न की गई। उक्त बैठक श्री आलोक कुमार अ.प्र.मु.व.सं. (व.प्रा.) की अध्यक्षता में म.प्र. के समस्त 13 श्वान दल की उपस्थिति में की गई। बैठक में श्वान दल इकाईयों के सुदृढीकरण एवं भविष्य के चुनौतियों पर चर्चा की गई।



वन्यप्राणी अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित कार्यवाही हेतु वन वृत्त शहडोल, छिंदवाड़ा खण्डवा एवं भोपाल के लिए श्वान दलों का प्रशिक्षण के नवीन सत्र 15.04.2019 को श्वान प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में प्रारम्भ किया गया।

वन अपराध प्रकरण क्रमांक 30896/23 दिनांक 08.04.2019 वनमण्डल औबेदुल्लागंज वन परिक्षेत्र बनेका में बाघ के शिकार में लिप्त 01 आरोपी को अल्प समय में गिरफ्तार किया व उनके द्वारा काटी गई पूंछ जप्त की गई।



वन अपराध प्रकरण क्रमांक 4951/02 दिनांक 20.03.2019 वनमण्डल ग्वालियर के वन परिक्षेत्र ग्वालियर में तेंदुआ के शिकार में लिप्त 02 आरोपी को अप्रैल माह में गिरफ्तार कर उनके द्वारा काटे गये पंजों को जप्त किया गया।

वन्यप्राणी तेन्दुए के शिकार के प्रकरण क्रमांक 1247/21 दिनांक 20.04.2019 वनमण्डल सागर के वन परिक्षेत्र देवरी के अंतर्गत 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन्यप्राणी तेन्दुए की खाल व शिकार में उपयोग शस्त्र (बंदूक) को जप्त करने में सहयोग किया गया।



वन अपराध प्रकरण क्रमांक 1552/09 दिनांक 08.06.2019 वनमंडल दक्षिण वनमंडल सागर वन परिक्षेत्र सागर में विभिन्न वन्यप्राणी अंगों को जप्त कर 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

वन अपराध प्रकरण क्रमांक 721/15 दिनांक 07.06.2019 वनमण्डल दक्षिण पन्ना, वन परिक्षेत्र पवई वन्यप्राणी चीतल के प्रकरण में वन परिक्षेत्र पवई के स्थानीय अमले के साथ श्वान दल की सहायता से 01 आरोपी को गिरफ्तार एवं शिकार में उपयोग किये गये औजारों को जप्त करने में सहयोग किया गया।



राजस्व आसूचना निदेशालय, व क्षेत्रीय इकाई, इन्दौर के साथ राजस्व आसूचना निदेशालय के अपराध प्रकरण क्रमांक STF DRI/IZU/INT-04/2019 में विभिन्न प्रकार के विदेशी मूल के पशु-पक्षियों को बंधक बनाकर बेचने के प्रकरण में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर पक्षियों को चिड़ियाघर में भेजने की कार्यवाही की गई।

सैंडबोआ तस्करों की गिरफ्तारी

भोपाल वन मण्डल की टीम ने सैंडबोआ सांप के तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें खरीददार एवं बेचने वाले दोनों शामिल थे। वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और सांप को वन विहार भेज दिया गया है। तंत्र-मंत्र की गतिविधियों के लिए सैंडबोआ सांप की काफी मांग है। वन विभाग की टीम में आर.के. चतुर्वेदी डिप्टी रेंजर, यशवंत परिहार, देवेन्द्र शर्मा, रामकिशन मालवीय और भीम सिंह शामिल रहे।



राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र, मध्य क्षेत्र (RCFC) जबलपुर द्वारा औषधीय पौधों की उन्नत कृषि तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र, मध्य क्षेत्र (RCFC), जबलपुर द्वारा मेसर्स सिनर्जी टेक्नोफिन प्रा.लि., नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 17.06.2019 एवं 18.06.2019 को राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के सभागार में “औषधीय पौधों की उन्नत कृषि तकनीक” के विषय पर उक्त संस्था द्वारा मध्यप्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों में स्थापित कराई गई औषधीय पौधों की कृषि से संबंधित कृषक उत्पादक कंपनियों के सदस्य संग्राहकों/कृषकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों के 52 संग्राहकों/कृषकों ने भाग लिया।



प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गिरिधर राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक रा.व.अनु.सं. जबलपुर एवं डॉ. पी.के. शुक्ल, क्षेत्रीय संचालक, क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र, मध्यक्षेत्र, जबलपुर।

सिवनी एवं छिंदवाड़ा से आये औषधीय पौधों की खेती करने के इच्छुक सभी संग्राहक/कृषकों ने अपना संक्षिप्त परिचय एवं औषधीय पौधों की कृषि से संबंधित जानकारी देते हुए उनके द्वारा किये जा रहे औषधीय पौधों की खेती तथा भविष्य में किये जाने वाले औषधीय पौधों की खेती की जानकारी दी गई। डॉ. पी.के. शुक्ल तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गिरिधर राव, संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा औषधीय पौधों के महत्व तथा इनके कृषिकरण की आवश्यकता के महत्व की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सभी कृषकों को औषधीय पौधों की खेती करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही औषधीय पौधों की खेती में हर संभव तकनीकी मदद इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, और जिस क्षेत्र से कृषक आये हैं वहां जाकर भी केन्द्र द्वारा कृषकों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। डॉ. पी.के. शुक्ल द्वारा औषधीय पौधों की आर्गेनिक खेती पर बल दिया गया और कृषकों को समूह बनाकर खेती करने की सलाह दी गई। औषधीय पौधों की खेती के पश्चात् उससे हो रहे उत्पादन को बेचने की समस्या के समाधान के लिये ई-चरक के मोबाइल एप का परिचय दिया गया एवं औषधीय पौधों के बाजार की भी जानकारी दी गई।



सभागृह में उपस्थित कृषक प्रशिक्षणार्थी

श्री गिरिधर राव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने औषधीय पौधों की खेती कर रहे कृषकों की प्रशंसा की एवं औषधीय पौध कृषि तकनीक का परिचय भी दिया जिससे कृषक लाभान्वित हो सकें। उन्होंने आयुर्वेद के प्रति रुझान की महत्ता को बताते हुए बस्तर जिले के छोटा डोंगर में औषधीय जड़ी-बूटियों का उपयोग कर रहे स्थानीय वैद्य द्वारा कई बीमारियों के उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सिनर्जी टीम के सदस्यों को भी किसानों की हरसंभव मदद हेतु सुझाव दिया।

श्री सुधांशु शेखर तिवारी, महाप्रबंधक सिनर्जी टेक्नोफिन प्रा.लि. द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा सिवनी एवं छिंदवाड़ा के संग्राहक एवं संग्रहणकर्ताओं का चयन कर मोगली औषधीय फार्मर कंपनी एवं सिनर्जी टेक्नोफिन प्रा.लि. सिवनी कंपनियां बनाई गई हैं। ये दोनों कंपनियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं जिनमें सिवनी में 253 एवं छिंदवाड़ा में 300 सदस्य कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य मध्यम एवं सीमांत कृषकों को लाभ पहुंचाना है। इस कंपनी में कृषक भी शेयरधारक हैं और उन्होंने किसानों को औषधीय पौधों की खेती से लाभ हेतु जानकारी दी।



डॉ. उदय होमकर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, रा.व.अनु.सं., जबलपुर।

उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि औषधीय पौधों का एक प्रोसेसिंग सेन्टर बनाया गया है और आगामी सत्र में नर्सरी भी बनाई जा रही है तथा ट्रायबल वेलफेयर बोर्ड द्वारा सिवनी में प्रोसेसिंग एवं कलेक्शन का कार्य व्यवस्थित रूप से करने हेतु एक बोर्ड बनाया जा रहा है। ये सभी कार्य कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु किये जा रहे हैं ताकि कृषक जागरूक हो सकें।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के डॉ. पंकज मिश्रा, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के डॉ. एस.सी. बिश्वास, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के वैज्ञानिक, डॉ. प्रतिभा भटनागर, वैज्ञानिक तथा डॉ. उदय होमकर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र, मध्य



संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर।

क्षेत्र के श्री मनीषपुरी गोस्वामी, डी.ई.ओ. एवं श्री शैलेन्द्र कुमार नेमा, डी.ई.ओ. के द्वारा औषधीय पौधों की खेती, प्रसंस्करण एवं विपणन से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।

दिनांक 18.06.2019 को समस्त कृषकों को क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र के श्री आलोक शर्मा उप-संचालक एवं श्री मनीषपुरी गोस्वामी, शैलेन्द्र नेमा डी.ई.ओ. के मार्गदर्शन में ग्राम हिनोता, जिला जबलपुर में उन्नतशील कृषक श्री अम्बिका पटेल के द्वारा की जा रही औषधीय पौधों की खेती का क्षेत्र भ्रमण कराया गया एवं उनके द्वारा की जा रही खेती की उन्नत तकनीक के बारे में बताया गया। श्री अम्बिका पटेल के कृषि क्षेत्र में पथरचूर, स्टीविया, हल्दी, सफेद मूसली, ऐलोवेरा एवं हाथीघास आदि की खेती का अवलोकन किया गया।

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून, 2019 का आयोजन

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा अपने परिसर में दिनांक 05 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस की थीम "वायु प्रदूषण" को ध्यान में रखते हुए प्रातः 7.30 बजे संस्थान के प्रांगण में स्थित क्रीडांगन में संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी तथा आमजनों को वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक करने हेतु संस्थान के अधिकारियों तथा वैज्ञानिक समुदाय द्वारा व्याख्यान तथा विचारों के अदान-प्रदान से वायु प्रदूषण के कारण, हानिकारक प्रभावों और प्रदूषण को सीमित करने के लिये सुझाव दिये गये।

इसके उपरांत संस्थान के प्रांगण तथा जबलपुर शहर के मुख्य चौराहों पर चलित वायु प्रदूषण मापन यंत्र द्वारा प्रदूषण की मात्रा का मापन किया गया। इसी उपलक्ष्य में



क्षेत्रीय भ्रमण, शुभम औषधीय पौध क्षेत्र, ग्राम हिनोता, जबलपुर।

वायु प्रदूषण विषय पर विभिन्न कक्षाओं के छात्र, छात्राओं के लिये संस्थान के मंत्रणा कक्ष में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे संस्थान तथा सेंटर फॉर एन्वायरनमेंट एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों

द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए वायु प्रदूषण के बारे में अपने विचारों को विभिन्न रंगों एवं कलाकृतियों के माध्यम से कागज पर प्रदर्शित किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता में श्री राजेश बहुगुणा, कमिशनर, जबलपुर संभाग, श्रीमती रजनी सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर, श्री आर.डी. महाला,

मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही आगंतुकों द्वारा संस्थान के अरण्य वीथिका संग्रहालय का अवलोकन किया। चित्रकला प्रतियोगिता में विजयी छात्र, छात्राओं को संस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक श्री गिरिधर राव द्वारा पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया।



05 जून 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम अंतर्गत वायु प्रदूषण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता।



संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस की थीम "वायु प्रदूषण" कार्यक्रम अंतर्गत वायु प्रदूषण मापन यंत्र से प्रदर्शन।

माननीय मंत्री, वन, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में दिनांक 24.06.2019 को समीक्षा बैठक

माननीय मंत्री वन, मध्यप्रदेश शासन श्री उमंग सिंघार की अध्यक्षता में राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक दिनांक 24.06.2019 को आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में श्री गिरिधर राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान; डॉ. पी.के. शुक्ल, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय संचालक, क्षेत्रीय-सह-सुविधा केन्द्र, मध्यक्षेत्र जबलपुर; श्री आर.डी. महाला, मुख्य वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर; श्री आर.एस. कोरी, मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार, जबलपुर; श्री आलोक कुमार दास, क्षेत्रीय प्रबंधक, वन विकास निगम, जबलपुर; श्री ओ.पी. तिवारी, अपर संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान; जबलपुर वन वृत्त एवं क्षेत्रीय प्रबंधक वन विकास निगम के समस्त वनमण्डलाधिकारी एवं उप-वनमण्डलाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विषय से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया।

समीक्षा बैठक के प्रारंभ में माननीय मंत्री वन द्वारा डॉ. उदय होमकर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिखित तकनीकी पुस्तक **“दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की रोपणी तकनीक का प्रचार प्रसार”** एवं **“वनों एवं वन रोपणियों में लगने वाली कीट व्याधियाँ एवं उनके निदान पर किये गये कार्यों का सरल भाषा में संकलन : मध्यप्रदेश के संदर्भ में”** तथा डॉ. जी.एस. मिश्रा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की तकनीकी पुस्तक **“मध्यप्रदेश की प्रमुख गोंदों के उत्पादन तथा संग्रहण क्षेत्र”** का विमोचन किया गया।



संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा बैठक में पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण द्वारा संस्थान का संक्षिप्त इतिहास एवं अनुसंधान गतिविधियों से अवगत कराया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों द्वारा नर्सरी तकनीक से संबंधित मार्गदर्शन समस्त अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों को दिए जाने के बारे में बताया गया। प्रस्तुतिकरण में अखिल भारतीय बाघ गणना का कार्य तथा सीडलिंग सीड आर्चेड के रखरखाव के संबंध में संस्थान का योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की गई। संस्थान में औषधीय पौधों का जीन बैंक स्थापित किये जाने तथा म.प्र. के विभिन्न वन क्षेत्रों से 430 औषधीय पौधों की प्रजातियों को एकत्रित कर संरक्षित किये जाने के बारे में बताया गया। म.प्र. में पाये जाने वाले लघु वनोपज की उपलब्धता तथा मूल्य संवर्धन संबंधी जानकारी का प्रकाशन संस्थान द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका **“वन-धन”** के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई।

समीक्षा के दौरान माननीय वन मंत्री म.प्र. शासन द्वारा अवगत कराया गया कि वनवासियों को औषधीय पौधों से रोजगार देने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा एवं सैटेलाइट से वनों की निगरानी कार्य भी किया जायेगा, जिसका क्रियान्वयन वन विभाग के माध्यम से होगा।

माननीय मंत्री वन द्वारा संस्थान परिसर में स्थित औषधीय पौधों की नर्सरी का अवलोकन एवं निरीक्षण कर वृक्षारोपण किया गया। साथ ही अरण्य-वीथिका म्यूजियम एवं चलित मृदा परिक्षण वाहन का अवलोकन भी किया गया।



माननीय वन मंत्री, म.प्र. शासन, श्री उमंग सिंघार द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित तकनीकी बुलेटिनों का विमोचन।

माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा विभागीय गतिविधियों में भागीदारी



माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा संस्थान के औषधीय पौधों की जीन बैंक का अवलोकन एवं पौधारोपण।



माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा चलित मृदा परिक्षण वाहन का अवलोकन।



माननीय मंत्री, वन, म.प्र. शासन द्वारा संस्थान के संग्रहालय अरण्य-वीथिका का अवलोकन।

सागौन (Teak) टेक्टोना ग्रेन्डीस (Tectona grandis) पर लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनके नियंत्रण की जानकारी

सागौन की पत्तियों पर मुख्यतः Skeletonizer (Eutectona machaeralis) एवं Teak leaf defoliator (Hyblaea puera) का प्रकोप होता है।

1. सागौन वृक्षों की पत्तियों को कंकालकृत करने वाले कीट प्रकोप का नियंत्रण : -

सागौन के वन क्षेत्रों में वृक्षों पर सागौन का कीट प्रकोप कई क्षेत्रों में हर वर्ष पाया जाता है। सागौन पर पत्तियों को कंकालकृत करने वाले कीट Skeletonizer (Eutectona machaeralis) का प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है। इस कीट द्वारा लार्वा अवस्था में पत्तियों के क्लोरोफिलयुक्त भाग खाकर पत्तियों को कंकालकृत कर दिया जाता है। इसके बाद लार्वा स्वयं को पत्तियों में लपेटकर प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से बाद में तितली बनती है।

कीट वर्णन : सागौन के वृक्षों के नीचे झाड़ियों/घास को हिलाने पर छोटी-छोटी गेहूँये रंग की तितलियां उड़ती हैं जो कि पत्तियों के नीचे की तरफ स्वयं को छुपाती है। यह छोटी-छोटी गेहूँये रंग की तितलियां वास्तव में Skeletonizer (Eutectona machaeralis) का वयस्क रूप हैं एवं यह झाड़ियों/घास के फूलों के रस पर अपना वयस्क स्तर का जीवन-यापन करती हैं तथा सागौन के पत्तों पर अण्डे देती हैं इन अण्डों से लार्वा निकलकर सागौन के पत्तों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ करते हैं।

अतः इसके उपचार हेतु निम्न सावधानियां ली जाना आवश्यक है:-

- सागौन के प्रभावित वृक्षों की पत्तियां गिरना प्रारंभ हो गयी हैं ऐसे वृक्षों में लगभग एक माह में नयी पत्तियां आना प्रारंभ हो जावेंगी। गिरी हुई पत्तियों में कीटों के प्यूपा पाये जाते हैं ऐसी पत्तियों को नष्ट कर देना चाहिये जिससे अगली पीढ़ी का प्रकोप कम हो।
- वर्तमान में कीट प्रकोप अपनी चरम सीमा पर है तथा वयस्क कीटों की संख्या अत्यधिक है इन वयस्क कीटों को कीटनाशक रासायन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता

है अथवा नाइटलाइट ट्रैप के द्वारा वयस्कों को संग्रहित कर नियंत्रित किया जावे।

- यह देखा गया है कि कुछ प्रभावित वन क्षेत्र में कुछ वृक्षों पर कीटों का असर लगभग नगण्य है ऐसे वृक्षों की पहचान कर उन पर अगले वर्ष भी कीट प्रभाव देखा जावे यदि हर वर्ष इन पर कीट का प्रभाव कम पड़ता है तो इन वृक्षों में प्राकृतिक तौर पर कीट के प्रभाव से बचने की क्षमता है। ऐसे वृक्षों का चयन कर भविष्य में इनसे ही बीज एकत्रित कर कीट प्रतिरोधी पौधे तैयार किये जा सकते हैं।
- छोटे स्तर पर वृक्षारोपण क्षेत्रों में लार्वायुक्त पत्तियों को हाथ से तोड़कर उन्हें जलाकर अथवा गहरे गड्ढे में दबाकर नष्ट किया जा सकता है, परन्तु बड़े वृक्षारोपणों या प्राकृतिक वनों में जहां हाथ से पत्तियां तोड़ने का कार्य व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं वहां नीचे क्रमांक 5 पर दर्शित कीटनाशक रसायनों का छिड़काव कर हानिकारक कीटों की अगली पीढ़ी के आक्रमण को कम किया जा सकता है।
- पत्तियों पर निम्न प्रकार से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जावे:-

अ) अनुसंधानों में Eutectona machaeralis के नियंत्रण हेतु अल्फामेंथ्रिन का 0.003 प्रतिशत तथा सायपर मेंथ्रिन 0.003 प्रतिशत का प्रभाव अच्छा पाया गया है। यदि यह कीटनाशक दवा उपलब्ध ना हो तो निम्न कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर कीट नियंत्रण किया जा सकता है।

मेलाथियान का 0.05 प्रतिशत या मोनोक्रोटोफास का 0.03 प्रतिशत या क्लोरोपायरीफास का 0.05 प्रतिशत या

- ब) बेसीलस यूरेजियनासिस जो कि एक बैक्टीरिया है, का 1 प्रतिशत घोल पानी में बनाकर छिड़काव करके कीट नियंत्रण किया जा सकता है। यदि संपूर्ण वन क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव संभव नहीं है तो नये

वृक्षारोपणों में उपरोक्त छिड़काव वर्तमान में Apical buds इनके की सुरक्षा हेतु तथा बीज उत्पादन क्षेत्र में फूलों की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है। यदि पूर्व में दवाओं का छिड़काव किया गया है तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर पुनः दवाओं का छिड़काव किया जावे जिससे नयी पीढ़ी के कीटों का नियंत्रण किया जा सके।

- सागौन के नीचे झाड़ियों को हिलाने पर छोटी-छोटी गेहूँये रंग की तितलियां उड़ती हैं जो कि पत्तियों के

नीचे की तरफ स्वयं को छुपाती हैं। इन तितलियों को कीटनाशक दवाओं के छिड़काव द्वारा नष्ट किया जा सकता है अथवा उन्हें Night lamp trap द्वारा एकत्रित कर नष्ट किया जा सकता है।

सागौन के कीटों की पहचान

अवस्था पत्तियों को खाने वाले कीट Teak leaf defoliator (*Hyblaea puera*) पत्तियों को कंकालकृत करने वाले कीट Skeletonizer (*Eutectona machaeralis*)



लार्वा



प्यूपा



वयस्क



लार्वा



वयस्क

सफेद गीड़ार (व्हाइट ग्रब) का जीवन चक्र



अण्डे



लार्वा



प्यूपा



वयस्क

2. सागौन वृक्षों की पत्तियों को खाने वाले कीट प्रकोप का नियंत्रण

Teak defoliator (*Hyblaea puera*) कीट लार्वा अवस्था में पत्तियों के अधिकतर भाग को खाकर पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा से बाद में तितली (पतंगा) बनती है। मटमैले रंग की तितली जिसके पंखों पर 2 अर्ध चंद्राकार काले धब्बे होते हैं यह तितली सागौन के वृक्षों की पत्तियों के नीचे की तरफ स्वयं को छुपाती है।

सागौन की पत्तियों का (*Eutectona machaeralis*) एवं Teak leaf defoliator (*Hyblaea puera*) द्वारा ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है।

अतः इनके उपचार हेतु निम्न सावधानियां ली जाना आवश्यक है:-

- सागौन के अत्यधिक प्रभावित वृक्षों की पत्तियां गिरना प्रारंभ हो जाती हैं ऐसे वृक्षों में लगभग एक माह में नयी पत्तियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। गिरी हुई पत्तियों में कीटों के प्यूपा पाये जाते हैं ऐसी पत्तियों को नष्ट कर देना चाहिये जिससे अगली पीढ़ी का प्रकोप कम हो।
- कीट प्रकोप चरम सीमा पर होने पर वयस्क कीटों की संख्या अत्यधिक होती है इन वयस्क कीटों को कीटनाशक रासायन द्वारा अथवा नाइट लाइट ट्रैप के द्वारा वयस्कों को संग्रहित कर नियंत्रित जा सकता है।
- छोटे स्तर पर वृक्षारोपण क्षेत्रों में लार्वायुक्त पत्तियों को हाथ से तोड़कर उन्हें जलाकर अथवा गहरे गड्ढे में दबाकर नष्ट किया जा सकता है, परन्तु बड़े वृक्षारोपणों या प्राकृतिक वनों में जहां हाथ से पत्तियां तोड़ने का कार्य व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं वहां नीचे क्रमांक 5 पर दर्शित कीटनाशक रसायनों का छिड़काव कर हानिकारक कीटों की अगली पीढ़ी के आक्रमण को कम

किया जा सकता है।

अ) पत्तियों पर निम्न प्रकार से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जावे:-

डेल्टामेथिन का 0.002 प्रतिशत तथा अल्फामेथिन अथवा सायपरमेथिन का 0.003 प्रतिशत का प्रभाव अच्छा पाया गया है। यदि यह कीटनाशक दवा उपलब्ध ना हो तो निम्न कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर कीट नियंत्रण किया जा सकता है।

मेलाथियान का 0.05 प्रतिशत या मोनोक्रोटोफास का 0.03 प्रतिशत या क्लोरोपायरीफास का 0.05 प्रतिशत या

ब) बेसीलस थूरीनजियनसिस (*Bacillus thuringiensis* Berliner) जो कि एक बैक्टीरियम है का 1 प्रतिशत घोल पानी में बनाकर छिड़काव करके कीट नियंत्रण किया जा सकता है।

यदि संपूर्ण वन क्षेत्र में दवाओं का छिड़काव संभव नहीं है तो नये वृक्षारोपणों में उपरोक्त छिड़काव वर्तमान में Apical buds इनके की सुरक्षा हेतु तथा बीज उत्पादन क्षेत्र में फूलों की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है। यदि पूर्व में दवाओं का छिड़काव किया गया है तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर पुनः दवाओं का छिड़काव किया जावे जिससे नयी पीढ़ी के कीटों का नियंत्रण किया जा सके।

जैविक नियंत्रण : उपरोक्त दोनों कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु वृक्षारोपणों में ट्राइकोग्रामा का प्रयोग किया जा सकता है। इससे प्राकृतिक रूप से ट्राइकोग्रामा द्वारा इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। ट्राइकोग्रामा की विस्तृत जानकारी हेतु उष्णकटीबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में कीट विज्ञान विभाग में सम्पर्क किया जा सकता है।

3. सागौन वन रोपणियों में सफेद गीड़ार (व्हाइट ग्रब) का प्रकोप एवं उसका एकीकृत कीट प्रबंधन

सागौन वन रोपणियों में सफेद गीड़ार (white grub) कीट सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला कीट है। यह कोलियोप्टेरा गण एवं स्कॅराबेडी कुल का कीट है। इस गण की होलोट्रिकिया कनसनगुनिया व होलोट्रिकिया सराटा प्रजातियों के कीट मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सागौन रोपणियों को काफी हानि पहुंचाते पाये गये हैं।

कीट की पहचान

इस कीट के वयस्क भृंग गहरे भूरे रंग के होते हैं। एक वयस्क मादा मिट्टी के अंदर एक-एक करके 5-6 अंडे देती है। अंडों से निकली हुई ग्रब या गीड़ार (इल्ली) सफेद रंग की होती है, जो पूर्ण विकसित होने पर अंग्रेजी के 'सी' अक्षर के आकार की मटमैली सफेद दिखाई पड़ती है। इसकी लंबाई 1 से.मी. से 5.6 से.मी. तक होती है। गीड़ार अवस्था 100-110 दिनों की होती है। यह कीट सामान्य भूमि के अंदर गीड़ार अवस्था में 6 से.मी. से 50 से.मी. तक गहराई में पाया जाता है। रेतीली मिट्टी में गीड़ार 100-150 से.मी. गहराई तक पाये जाते हैं। जमीन में नमी जैसे-जैसे कम होती है, वैसे-वैसे ये गहराई तक जाते हैं।

शंखी (प्यूपा) अवस्था में ये पीले-भूरे रंग के होते हैं एवं 20-40 से.मी. गहराई में भूमि में पाये जाते हैं।

क्षति की प्रकृति

गीड़ार कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी, खाद, पौधों की पतली जड़ों व मुख्य जड़ की छाल को खाते हैं। वे अपना भोजन ढूढ़ने के लिए जड़ों के चारों ओर की भूमि रेंगने से उसे पोली कर देते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी वाष्पीकृत हो जाता है एवं पौधों को आवश्यक नमी न मिलने से वे मुरझाकर सूख जाते हैं। जब गीड़ार मुख्य जड़ों को खा जाते हैं तो छोटे एवं मुलायम पौधे सूख जाते हैं। वयस्क भृंग रात में रोपणी के आसपास लगे हुए बड़े वृक्षों/झाड़ियों (बेर, पलास, तेन्दू, धवा, करघई, साजा आदि) की पत्तियाँ खाते हैं एवं इन वृक्षों पर अपने जीवनचक्र का वयस्क भाग पूर्ण करते हैं।

जीवन चक्र

मानसून की बौछार में वयस्क भृंग (बीटल) रात में भूमि से

निकलकर आसपास लगे हुए पेड़ों की पत्तियाँ खाते रहते हैं। नर-मादा का मिलन होकर मादा भृंग रेतीली दोमट मिट्टी में 5-6 अंडे एक-एक करके देती है। अंडों से छोटे ग्रब्स निकल आते हैं और जमीन से सड़ी-गली पत्तियाँ या जड़ों को खाते रहते हैं। जब गीड़ार की अवस्था बड़ी हो जाती है, तब ये पहले पौधों की मुलायम द्वितीयक जड़ों को काटते हैं तथा बाद में मुख्य जड़ों को काटना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पौधे सूखने लगते हैं। गीड़ार अवस्था 8-10 माह की होती है। प्यूपा (शंखी) अवस्था 7-14 दिन तक होती है। इस कीट की गीड़ार एवं शंखी अवस्था मौसम परिवर्तन के ऊपर निर्भर करती है। कार्बनिक पदार्थ युक्त रेतीली दोमट मिट्टी इस कीट को अंडे देने के लिए आकर्षित करती है।

इस कीट का जीवन चक्र पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष का समय लग जाता है। इसकी वयस्क अवस्था को भृंग (बीटल) कहते हैं। ये मई-जून माह में सायंकाल जमीन से निकलते हैं, इसलिए इन्हें 'मई या जून' बीटल (भृंग) भी कहते हैं।

एकीकृत/समेकित कीट प्रबंधन

एकीकृत कीट प्रबंधन का अर्थ है कीट प्रबंधन की सभी संभावित विधियों का एक कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वयन जो आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाभदायक हो।

सफेद गीड़ार (व्हाइट ग्रब्स) का नियंत्रण केवल रसायन विधि से न करके निम्नलिखित एकीकृत/समेकित विधि से करना चाहिए:-

1. अप्रैल माह में सागौन रोपणियों में जमीन की गहरी खुदाई करनी चाहिए ताकि गीड़ार ऊपर आने के कारण पक्षियों का भोजन बन सके या तेज गरमी से नष्ट हो जाये।
2. सागौन रोपणियों में बीजों की बुवाई अप्रैल माह में करना चाहिए तथा प्रति क्यारी (आकार 10 मी. X 1 मी.) नीम या करंज या जेट्रोफा की 5 किलो खली डालना चाहिए, जिससे पौधे स्वस्थ एवं मजबूत होते हैं और उनमें कीट का प्रकोप कम होता है।
3. मई-जून माह में सागौन रोपणियों के आसपास लगे हुए बेर, तेन्दू, पलास, धवा, करघई एवं साजा के पेड़ों/झाड़ियों की छंटाई कर देना चाहिए, जिससे वयस्क भृंग का जीवन चक्र बाधित हो सके।
4. सागौन रोपणियों में मई-जून माह में क्यारियों में कम से

कम निदाई करनी चाहिए अन्यथा मिट्टी पोली होने से मादा भृंग क्यारियों में अंडे दे सकती है।

5. सागौन रोपणियों में जून माह के अंतिम सप्ताह में Phorate 10 G का 100 ग्राम प्रति क्यारी (10X10 मी.) के हिसाब से डालना चाहिए, जिससे गीड़ार का प्रकोप कम पाया जाता है। रोपणियों में इस कीट का प्रकोप अधिक होने की स्थिति में फोरेट की मात्रा बढ़ाकर 200 ग्राम प्रति क्यारी तक दी जा सकती है। या (Carbofuran 3 G) को 70 ग्राम प्रति क्यारी (10X10 मी.) के हिसाब से डालना चाहिए। Phorate Carbofuran को क्यारी में नाली बनाकर डालना चाहिये।
6. Chloropyriphos 20 EC का 0.04% या Phentoate का 36 EC का 0.1% का छिड़काव करने से इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
7. मानसून से पहले या मानसून के दौरान सागौन रोपणियों में प्रकाश पिंजरा (लाइट ट्रेप) रात्रि 7:00-9:00 बजे के बीच लगाया जाना चाहिये। प्रकाश पिंजरे में 160 वॉट का मरक्युरी वेपर बल्ब उपयोग कर सकते हैं। वयस्क भृंग प्रकाश से आकर्षित होकर पिंजरे में फंस जाते हैं तथा तब उन्हें नष्ट किया जा सकता है, इससे मादा भृंगों की संख्या में कमी आ सकती है, जिसके फलस्वरूप इनके अंडों, गीड़ार तथा कीट की पीढ़ियों में क्रमशः संख्या कम होकर इसका प्रकोप नियंत्रित किया जा सकता है।

नोट:- प्रायः यह देखा गया है की रूटशूट निकालने के बाद पौधे का कचरा रोपणी के बेड में ही पड़ा रहता है जो दीमक या सफेद गीड़ार (व्हाइट ग्रब) को आकर्षित करती है। इसे अलग से एक जगह रखकर या गड़ाकर नष्ट करना चाहिये।

5. जैविक कीट नाशक तैयार करने के नुस्खे

शहरों एवं गावों में जैविक उत्पादन के लिये रुझान बढ़ रहा है। जैविक कृषि एवं बागवानी करने हेतु आवश्यक है कि हम रासायनिक दवाओं का उपयोग बंद करें अथवा कम से कम करें। विभिन्न संसाधनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ जैविक कीटनाशकों की संकलित जानकारी यहां दी जा रही है। इसमें वर्णित सभी पौधे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इन जैविक कीटनाशकों को तैयार कर अपनी रोपणी को कीटों से बचाने में इनका उपयोग किया जा सकता है।

1. माहु लगने पर 250-300 धतूरे के पत्ते एवं कुछ टहनियों को 5 लीटर पानी में भिगोकर इसे कुनकुना गर्म करते हैं। ठण्डा करके फसल पर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे माहु मरने लगते हैं। इस दवा का प्रयोग एक माह तक की फसल एवं नये पौधे पर करना चाहिए।
2. निंबोली को पीसकर 100 ग्राम पावडर पौधे के चारों तरफ 4 इंच गहराई में डालने से दीमक, गुबरैला, माहु आदि से छुटकारा मिलता है।
3. गोमूत्र को सुबह-सुबह फसल पर छिड़काव करने से कीड़े नहीं लगते हैं।
4. करेले पर अर्धगोलाकार लाल भूरे रंग का कीड़ा जिस पर काले रंग के चकते होते हैं (लेडी बर्ड बीटल)। ये सिंगार के आकार के अण्डे देते हैं एवं इनसे पीले रंग की कांटेदार सुंडियां निकलती हैं। ये कीड़े व सुंडियां दोनों पत्तों को खाती हैं। इसे रोकने के लिए 60 ग्राम साधारण साबुन को आधा लीटर पानी के घोल में 1 लीटर नीम का तेल मिलाकर घोल तैयार करते हैं फिर इस घोल में 20 लीटर लीटर पानी अच्छे से मिलाकर 400 ग्राम पिसी हुई लहसुन को घोलते हैं। फिर छानकर इसे फसल के पत्तों पर छिड़काव करते हैं।
5. वह इल्ली जो पौधों के पत्ते खाने के साथ-साथ तना खाकर पौधों को सुखा देती है, से बचने के लिए 10 किलो नीम खली को पानी में घोलकर, छानकर फसल पर छिड़काव करें।
6. 1 किलो तम्बाखु की पत्ती को 10 लीटर पानी में आधे घण्टे तक उबालकर ठण्डाकर छानकर 20 ग्राम साबुन को अलग से 4.5 लीटर में अच्छे से घोलकर तम्बाखु के घोल में मिला लें। फिर 30 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। इससे पत्ते काटने वाली इल्ली व हरे सफेद मच्छर मक्खियों, तना भेदक इल्ली व डोडी खाने वाली इल्ली व कीड़े मर जाते हैं।
7. 10 लीटर छांछ को एक मटके में एक माह तक रखें। बाद में इसमें गेहूं का आटा आधा किलो मिलाएं। इस मिश्रण को पतला करके चने की इल्ली या फल्लियों के छेदक कीट का नियंत्रण करने के लिए छिड़काव करें।
8. 5 लीटर देशी गाय के मट्ठे में 5 किलो नीम के पत्ते डालकर 10 दिन तक सड़ायें, बाद में नीम की पत्तियों

को निचोड़ लें। इस नीमयुक्त मिश्रण को छानकर 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के मान से समान रूप से फसल पर छिड़काव करें। इससे इल्ली व माहु का प्रभावी नियंत्रण होता है।

9. 5 लीटर मट्ठे में 1 किलो नीम के पत्ते व धतूरे के पत्ते डालकर 10 दिन सड़ने दें। इसके बाद मिश्रण को छानकर इल्लियों का नियंत्रण करें।
10. 30 ग्राम लहसुन का अर्क, 5 ग्राम साबुन, 2 मिलिग्राम 2टी आईल, 1 लीटर पानी में घोलकर इस मिश्रण को मिलीबग की रोकथाम के लिये उपयोग में लायें।
11. 400 ग्राम नीम के तेल में 100 ग्राम कपड़े धोने वाला पाउडर डालकर खूब फेंटें फिर इस मिश्रण में 150 लीटर पानी डालकर घोल बनायें। यह एक एकड़ क्षेत्र

के लिये पर्याप्त है।

12. सीताफल के बीज के तेल का 10 प्रतिशत इमल्शन छिड़कें या सीताफल के बीज को एक दो दिन पानी में भिगोकर रखें और बीज को पीसकर अर्क को छानकर छिड़काव करें। सीताफल के बीज का भूरका-चूर्ण (डस्ट) का उपयोग माहू, हरे मच्छर, इल्लियों, भृंग इत्यादि कीटों को नियंत्रित करने हेतु करते हैं, यह स्पर्श व उदर विष है।
13. 5 किलो आंकड़े (अकोना) की पत्ती, तना व जड़ को कूटकर पतले थैले में बांध लें। खेत में सिंचाई करते समय जहां पाईप का पानी गिरता है वहां थैले में बंधी दवा को रख दें। इसके बहते पानी से दीमक पर नियंत्रण होता है।



धतूरा



गराडी



तम्बाखू



— नन्हा पौधा बनता पेड़ - सुख सम्पदा देता ढेर —

देवरी घड़ियाल प्रजनन केन्द्र – मुरैना

1. मुरैना वन मंडल के चम्बल अभ्यारण्य में देवरी घड़ियाल प्रजनन केन्द्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी।
2. इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य चम्बल अभ्यारण्य में घड़ियालों एवं कछुओं का पुनर्घनीकरण कर एक स्वस्थ संस्था बनाये रखने की है।
3. घड़ियाल के अण्डों को गीदड़ एवं कुत्ते जैसे परभक्षियों से खतरा रहता है। घड़ियाल के अण्डों से मई के अन्तिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में बच्चे निकलते हैं, और केवल डेढ़ माह बाद ही बाढ़ आने से परभक्षियों से बचे अंडों से निकले 98 प्रतिशत हैचलिंग्स बाढ़ के प्रभाव से बह जाते हैं तथा जिससे वे जीवित नहीं रह पाते हैं।
4. 1974-75 में चम्बल में केवल 75 घड़ियाल बचे थे। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश वन विभाग द्वारा लिये गये Grow and release कार्यक्रम के सफल संचालन से यह संख्या वर्ष 1998 में 1920 हो गई। दुर्भाग्यवश वर्ष 1999 से 2002 के मध्य वित्तीय संसाधनों की कमी से प्रबंधन गतिविधियाँ धीमी रहीं। पुनः वित्तीय व्यवस्था होने पर जब वर्ष 2003 में घड़ियालों की संख्या हेतु सर्वेक्षण किया गया, तब पुनः केवल 514 घड़ियाल पाये गये। वर्ष 2003 से Grow and release कार्यवाही सतत् चलती रही। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ही अभ्यारण्य में जलीय जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है।
5. इस कार्य हेतु नदी के किनारे घड़ियालों के अण्डों को मई के अन्तिम सप्ताह में अण्डे से बच्चे निकलने से पहले ही एकत्रित किये जाते हैं। इन अण्डों को ध्यानपूर्वक इस केन्द्र में बनायी गयी हैचरी में रेत में ऐसी स्थिति में रखे जाते हैं, जैसे वे प्रकृति में पाये जाते हैं।
6. 2 से 3 सप्ताह में ही इन अण्डों में से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें छोटे – छोटे पानी के कुण्डों जिन्हें हैचलिंग पूल्स कहते हैं, में रखा जाता है।
7. एक वर्ष तक बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। इन शावकों को छोटी मछली खाने के लिए दी जाती है।
8. एक वर्ष के उपरान्त इन बच्चों को थोड़े बड़े कुण्डों में रखा जाता है, जिन्हें Yearling Pools कहते हैं, यहाँ भी इन्हें जीवित मछली खाने हेतु दी जाती है।
9. एक और वर्ष बाद इन शावकों को Yearling Pools से निकालकर Rearing Pools में रखा जाता है। जहाँ वे 1.2 मीटर लम्बाई ग्रहण करते ही नदी में विमुक्ति हेतु तैयार माने जाते हैं।
10. सभी हैचलिंग्स को एक संख्या दी जाती है, जो अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप होती है। इस संख्या का आधार हैचलिंग की पूँछ पर Scutes के काटने पर आधारित है।



घड़ियाल प्रजनन केन्द्र देवरी (मुरैना)।

उदयगिरी ईको पर्यटन केन्द्र सामान्य वन मण्डल, विदिशा

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल उत्तर पूर्व में विदिशा शहर की समीप स्थित गुप्तवंश की गुफाओं, प्रतिमाओं तथा पुरातत्व महत्व के स्थल के रूप में उदयगिरी पहाड़ी प्रसिद्ध है। वर्ष 1988 के पूर्व उदयगिरी क्षेत्र एक खाली पहाड़ी के रूप में था। वर्ष 1988-89 में सामान्य वन मण्डल विदिशा द्वारा राजस्व क्षेत्र के 25.159 हेक्टेयर क्षेत्र में 146 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों का रोपण कर पर्यावरण वन का निर्माण किया गया था। वर्तमान में रखरखाव एवं सुरक्षा के कारण क्षेत्र 0.8 से 0.9 घनत्व के जंगल में परिवर्तित हो गया है।

म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से 16.734 हेक्टेयर क्षेत्र को जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिये जैव विविधता प्रदर्शन क्षेत्र, मनोरंजन एवं पर्यावरण स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक पथ निर्माण, पैगोडा, प्राकृतिक पार्किंग स्थल, दुर्लभ प्रजातियों का रोपण, पक्षी अवलोकन केन्द्र, प्रकृति अवलोकन टॉवर, बच्चों में वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिये इन्टरप्रिटेशन सेंटर एवं साइनेजस लगाये जा रहे हैं तथा केनोपी बॉक का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिये बच्चों के लिये मनोरंजन केन्द्र एवं एडवेंचर स्पोर्ट की विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।



नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काष्ठ विदोहन के सफलता की कहानी

बालाघाट, म.प्र. के सुदूर दक्षिण पूर्व में स्थित म.प्र. का एक सीमावर्ती जिला है जो कि मिश्रित वनों से आच्छादित है। साल एवं बांस यहां की मुख्य प्रजातियां हैं। जिले के अंतर्गत दो उत्पादन वनमण्डल क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण उत्पादन वनमण्डल स्थित हैं।

काष्ठ के विदोहन में कठिनाईयां :-

दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जिसके तीन परिक्षेत्र पूर्व लांजी, पश्चिम लांजी एवं किरनापुर नक्सलवादी गतिविधियों की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील हैं। नक्सलवादी गतिविधियों के कारण उत्पादन कार्यों मुख्यतः काष्ठ विदोहन कार्य करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण पूर्व में उत्पादन कार्य या तो आंशिक रूप से अथवा सम्पादित किये ही नहीं जा सके।

विदोहन वर्ष 2018-19 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विदोहन रणनीति :-

इस वनमण्डल में विदोहन वर्ष 2018-19 में कुल 129 नियमित कूप, 81 एरियर कूप, 10 अन्य कूप तथा 69 बांस कूप विदोहन हेतु प्राप्त हुये थे। अधिकतर एरियर कूप नक्सल प्रभावित परिक्षेत्रों के थे। जिनमें पूर्व में विदोहन कार्य नहीं किया जा सका था। प्रारंभ में कूप प्रभारियों द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कूप विदोहन करने से मना कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार-बार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कूप प्रभारियों, परिक्षेत्राधिकारियों की बैठक लेकर कार्य करने हेतु रणनीति तैयार की गई।

इसके उपरान्त वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें वनवृत्त के मुख्य वनसंरक्षक श्री मोहन मीना एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा कूपों का भ्रमण कर विदोहन कार्य प्रारंभ किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के कूपों के भ्रमण से कूप प्रभारी एवं परिक्षेत्र अधिकारी के मनोबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि देखी गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का वनमंडल स्तर पर प्रत्येक दिवस समीक्षा की जाती थी तथा तत्काल निर्देश जारी किये जाते थे। इसका परिणाम यह रहा कि आसपास के ग्रामीण भी रोजगार के अवसर मिलने पर विदोहन कार्य में रुचि लेने लगे जिससे वनकर्म एवं स्थानीय ग्रामीण एवं श्रमिकों में आपसी सामंजस्य की स्थापना हुई एवं आपसी विश्वास में वृद्धि हुई। जिन कूपों में श्रमिकों की उपलब्धता नहीं देखी जाती थी वहां पर बाहर से श्रमिक लाने एवं केम्पिंग करने की व्यवस्था रखी गई। कई बार केम्पिंग श्रमिक भयवश बिना सूचना के वापस अपने गृह ग्राम भाग जाते थे उन कूपों में पुनः दूसरे स्थान से श्रमिक की व्यवस्था की जाती थी। मुख्य वनसंरक्षक, वनमंडलाधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी लांजी द्वारा कूपों में नियमित भ्रमण, समझाईश, निर्देश एवं श्रमिकों से बातचीत करने से व्याप्त भय के वातावरण में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को प्राप्त हुआ। कूप में रखे चौकीदार को प्रत्येक दिन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा चर्चा की जाती थी एवं अगले दिन किस ओर विदोहन करना है, किन वृक्षों का विदोहन करना है तय किया जाता था जिससे विदोहन प्रगति होने में सुविधा हुई। इस प्रकार ग्रामीणों एवं श्रमिकों को विश्वास में लेकर एक कठिन कार्य पूर्ण किया जा सका।



परिक्षेत्र पश्चिम लांजी : काष्ठ विदोहन पूर्व प्रशिक्षण।



परिक्षेत्र पूर्व लांजी : वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कूप निरीक्षण।

परिणाम :-

वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल निर्देशन एवं रणनीति तथा स्थानीय वन अमले के सजग प्रयास के परिणामस्वरूप लगभग समस्त नियमित कूप तथा अधिकांश एरियर कूप एवं समस्त बांस कूप बगैर किसी अप्रिय घटना के सम्पन्न हो गए।

अधिकांश काष्ठ कूप एवं समस्त बांस कूप के विदोहन का परिणाम यह रहा कि दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट में विदोहित वनोपज की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि पाई गई। इसके अतिरिक्त इन तीनों नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,38,790 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा सका है।

विदोहन वर्ष	वनोपज की मात्रा		
	इमारती काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (नो.टन)
2016-17	11507	12570	14247
2017-18	12565	13847	13527
2018-19	23680	23779	17930

विदोहन कार्य में सम्मिलित अधिकारी एवं कर्मचारी :-

दक्षिण उत्पादन वनमंडल बालाघाट के नक्सल प्रभावित परिक्षेत्रों में विदोहन कार्य सम्पन्न कराने में तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक, वनवृत्त बालाघाट श्री मोहनलाल मीणा, (भा.व.से.), श्री ए.ए. अंसारी (भा.व.से.) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण उत्पादन वनमण्डल बालाघाट, श्री ग्रजेश कुमार वरकडे, उप वनमंडलाधिकारी लांजी, श्री सी.डी. चौहान (उ.व.क्षे.) परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी, श्रीमती दीपा पटेल (व.क्षे.) परिक्षेत्र अधिकारी किरनापुर, श्री नन्दकिशोर उईके (उ.व.क्षे.) परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी की सराहनीय भूमिका रही। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर परिक्षेत्र पूर्व लांजी के कूप प्रभारी श्री हुकुमचन्द नेवारे वनपाल, श्री शोभाराम मोरघरे वनपाल, श्री यशवन्त घोरमारे, वनरक्षक, श्री सतीश वर्मा वनरक्षक, परिक्षेत्र पश्चिम लांजी के कूप प्रभारी श्री संतोष पारधी वनपाल, श्री विनीत सिंह वनरक्षक, श्री मुकेश कुमार उपराड़े वनरक्षक, श्री नितिन मेश्राम वनरक्षक एवं परिक्षेत्र किरनापुर उत्पादन परिक्षेत्र के कूप प्रभारी श्री रमेश कुमार शेण्डे वनरक्षक एवं अन्य वनकर्मियों का भी सहयोग एवं प्रयास सराहनीय रहा है।



— नन्हा पौधा बनता पेड़ - सुख सम्पदा देता ढेर —

अनुसंधान विस्तार रोपणियों में नवीन तकनीकी का उपयोग

स्मार्टफोन के युग में तकनीक से कंधे से कंधा मिलाकर चलने में हमारा विभाग भी पीछे नहीं है और इसी कड़ी में अनुसंधान एवं विस्तार विभाग ने Face Book, Tweeter, You Tube Channel, M P Forest Org. पर नवीन तकनीकों का उपयोग कर जन सामान्य को पौधों की उपलब्धता एवं अनुसंधान विस्तार की विविध गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

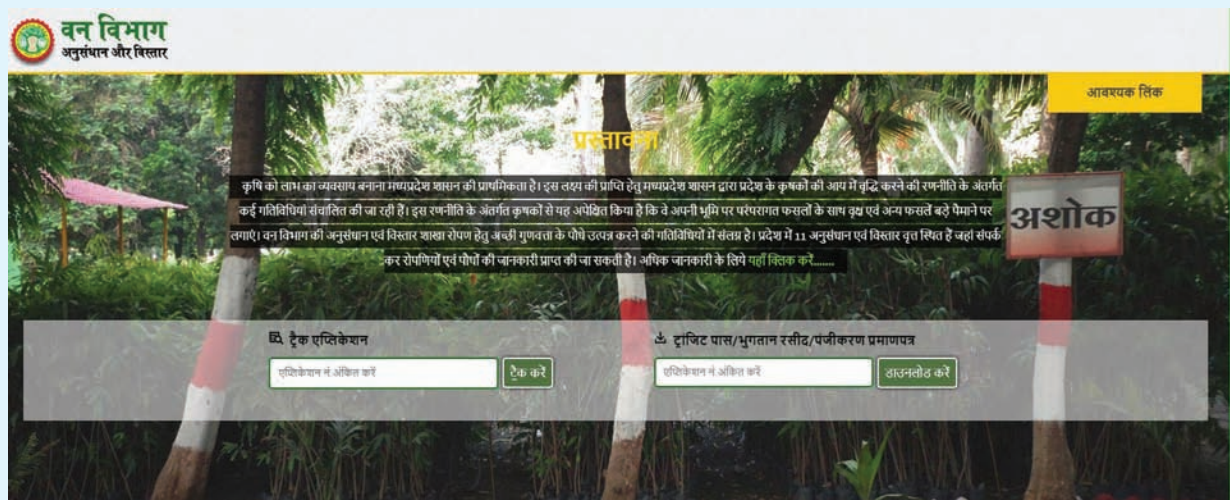


M.P. Research and Extension



M.P. Research and Extension Forest Dept. @REExtension

MP ONLINE वेबसाइट पर समस्त रोपणियों की जानकारी की उपलब्धता

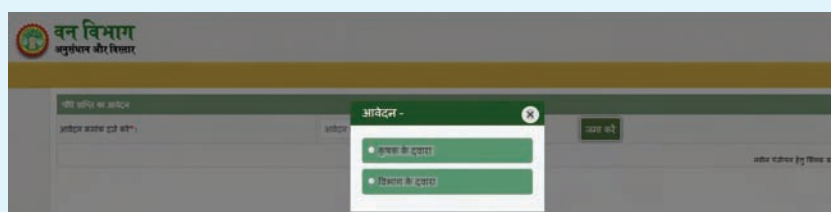


नागरिकों/विभागों हेतु वन विभाग (Research & Extinction Wing) से पौधे प्रदाय करने के अनुरोध हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया प्रवाह (Process Flow)

1. कृषक/विभाग कृपया “MPFOREST.MPONLINE.GOV.IN” लिंक पर विजिट करें तथा यहां पौधा प्राप्ति पंजीयन पर क्लिक करें



2. यदि कृषक/विभाग नवीन उपयोगकर्ता हैं तो वे सर्वप्रथम अपना प्रोफाइल बनाएं



गवर्नर
गुजरात सरकार

पंजी की मांग के लिए पंजीकरण फार्म [कृषक के लिए]

कृषक का विवरण					
कृषक का पञ्चम नाम *	Shaleen	कृषक का पञ्चम नाम	कृषक का पञ्चम नाम	कृषक का पञ्चम नाम *	शरी
अनु (अई ई) *	30	पिता का नाम *	राहुल शरी	पञ्चम नाम *	7049023864
अनु (अई ई) (OBC) अनु (अई ई) (SC) अनु (अई ई) (ST) अनु (अई ई) (UR)		पिता:	अनु (अई ई)		
अनु पञ्चम नाम *	अनु पञ्चम नाम	अनु पञ्चम नाम / अनु पञ्चम नाम के नाम के नाम *	1224444433		
कृषक का पता					
अनु पञ्चम नाम पञ्चम नाम *	अनु पञ्चम नाम	पञ्चम नाम / अनु पञ्चम नाम के नाम *	अनु पञ्चम नाम	अनु पञ्चम नाम *	अनु पञ्चम नाम
पञ्चम नाम *	454333	कृषक का पता *	अनु पञ्चम नाम अनु पञ्चम नाम		

अनु पञ्चम नाम

अनु पञ्चम नाम

वन विभाग
अनुसंधान और शिक्षा

पौधों की मात्रा के लिए पंजीकरण फॉर्म (विभाग के लिए)

विभाग का विवरण				
विभाग का नाम *	एनफोर्स्वर रिजर्वेट	अधिकारी का पद *	इन्फोर्सर	विभाग का पुराना डाटाईड
अनुसंधान संख्या *	7049923864	विभाग की ईमेल आईडी *	shaleen831@gmail.com	7049923864

विभाग का प्लॉट				
अनुसंधान वन विभाग पुराना *	श्रीधर *	प्लॉट / अधिविभाग प्लॉट के नाम *	श्रीधर *	संस्कृति *
प्लॉट क्रमांक *	454333	विभाग का प्लॉट *	अनुसंधान वन श्रीधर	काल *

जमा करें

प्रिंट

विमान का विवरण			
विमान का अडिशनल नम्बर *	DEP1800030	विमान का नगर *	राजस्थान विमान
विमान का टिकट नम्बर	*****3864	अडिशनल नगर *	राजस्थान का नगर
विमान का पते		विमान का ईमेल अडि *	
अडिशनल नगर विमान नगर *	अडिशनल	विमान का नगर *	अडिशनल
विमान का पते	454132	अडिशनल नगर अडिशनल	अडिशनल
बुकिंग का विवरण			
बुकिंग का विवरण का नगर	05/10/2018	बुकिंग का नगर	10/46-53
बुकिंग	0	बुकिंग	0
बुकिंग का नगर	19.5	बुकिंग का नगर	19.5
बुकिंग का नगर	1.75	बुकिंग का नगर	1.75
बुकिंग का नगर	23	बुकिंग का नगर	23
बुकिंग का नगर	23A48CH7529812Q	बुकिंग का नगर	23A48CH7529812Q
बुकिंग का नगर	18100552727840097948	बुकिंग का नगर	18100552727840097948
बुकिंग का नगर	the book	बुकिंग का नगर	the book
बुकिंग का नगर	K27999900054	बुकिंग का नगर	K27999900054
बुकिंग का नगर	बुकिंग का नगर	बुकिंग का नगर	बुकिंग का नगर
बुकिंग का नगर	Kiosk/Cyber Cafe	बुकिंग का नगर	Kiosk/Cyber Cafe

मुख्य पृष्ठ | पहिली कक्षा

वन विभाग
अनुपम और निराला

कौन सा जिला का जलिया

जिल्ला का नाम दर्ज करें:

जिल्ला का नाम दर्ज करें:

जिल्ला का नाम दर्ज करें:

7. लॉग-इन करने के पश्चात कृषक/विभाग अपना डैश बोर्ड देख सकने में समर्थ होंगे जहां से वे पौधे प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकेंगे।

वन विभाग
अनुसंधान और विस्तार

कृषक/विभाग मुख्य पृष्ठ

कृषक/विभाग का डिपॉजिट * DEP1800030 कृषक/विभाग का नाम * एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट

पौधे प्रदान का आवेदन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करें आवेदन पर विभाग की कार्यवाही आवेदन की प्रगति देखें एग्रीकल्चर के प्रमाणपत्र / भुगतान करें

8. कृषक/विभाग विभिन्न प्रकार के पौधों का चयन कर सकते हैं जो कि वे अपनी निकटवर्ती रोपणी से क्रय करना चाहते हैं।

वन विभाग
अनुसंधान और विस्तार

पौधों की आवश्यकता की जानकारी

कृषक/विभाग का डिपॉजिट DEP1800030 पौधों के प्रदान का आवेदन क्रमांक अभी आवेदन नहीं हुआ

कृषक/विभाग का नाम * एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर पौधों की प्रगति का देखें वर्तमान देखें

पौधों की प्रगति का सहीना * वर्ष -2018

क्रमांक	पौधों की प्रजाति चुनें	पौधों की संख्या	रोपणी चुनें	पौधों की कीमत	अनुमानित कीमत	अवस्था
1	Am. अंगूर	100	अंगूर	रुप. 12 (3 फीट लंबाई x 4 फीट चौड़ाई x 3 फीट गहराई)	3000	हटाये
2	Anjan अंगूर	40	अंगूर	रुप. 12 (3 फीट लंबाई x 4 फीट चौड़ाई x 3 फीट गहराई)	1200	हटाये

सभी पंजीति जोड़ें

9. आवश्यकतानुसार पौधों की क्रिस्मों का चयन करने के पश्चात कृषक/विभाग अपना अनुरोध वन विभाग से अनुमोदन हेतु सबमिट करेंगे तथा एमपीऑनलाइन एवं विभाग की शुल्क का भुगतान करेंगे।

वन विभाग
अनुसंधान और विस्तार

पौधों की आवश्यकता की जानकारी

कृषक/विभाग का डिपॉजिट DEP1800030 पौधों के प्रदान का आवेदन क्रमांक PD1800042

कृषक/विभाग का नाम * एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर पौधों की प्रगति का देखें वर्तमान देखें

पौधों की प्रगति का सहीना * वर्ष -2018

क्रमांक	पौधों की प्रजाति चुनें	पौधों की संख्या	रोपणी चुनें	पौधों की कीमत	अनुमानित कीमत	अवस्था
1	Am. अंगूर	100	अंगूर	रुप. 12 (3 फीट लंबाई x 4 फीट चौड़ाई x 3 फीट गहराई)	3000	हटाये
2	Anjan अंगूर	40	अंगूर	रुप. 12 (3 फीट लंबाई x 4 फीट चौड़ाई x 3 फीट गहराई)	1200	हटाये

सभी पंजीति जोड़ें

शुल्क 4200

पोस्टल शुल्क 23

कुल शुल्क 4223

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट

वन विभाग

प्रिंट

10. वन विभाग द्वारा सत्यापन के पश्चात कृषक/विभाग को उनके द्वारा किए गए अनुरोध की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में एसएमएस प्राप्त होगा, अपने किए गए अनुरोध की स्थिति की जांच वे अपने प्रोफाइल में लॉग-इन करने के द्वारा भी कर सकते हैं।



11. आवेदन पर विभाग की कार्यवाही लिंक पर क्लिक करने के पश्चात कृषक/विभाग अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकेंगे।



12. वन विभाग से अपने अनुरोध का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कृषक/विभाग अपने पुष्टीकरण की रसीद तथा भुगतान विवरणों को डाउनलोड करने में समर्थ होंगे।



- नोट : 1. कृषक/विभाग के लिए पौधों को प्राप्त करते समय प्रभारी वन अधिकारी के समक्ष किए गए भुगतान की पर्ची प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. प्रभारी वन अधिकारी कृषकों/विभाग से प्राप्त की गई भुगतान पर्चियों की एक प्रति अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखेंगे।
3. एक बार सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के पश्चात आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुरोध का निरस्तीकरण संभव नहीं होगा।
4. वन विभाग कृषकों/विभागों द्वारा चाही गई पौधों की संख्या अथवा चयनित रोपणी में उपलब्धता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. कृषक/विभाग पौधों हेतु अपने अनुरोध वर्तमान वर्ष के लिए तथा आगामी वर्ष हेतु भी कर सकते हैं।

विभागीय समीक्षा एवं क्षेत्रीय कार्यशालायें

विभाग के कार्यों में गति लाने तथा प्रचलित गतिविधियों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों से विचार विमर्श हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में निम्नानुसार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गयीं :-

अ. क.	क्षेत्रीय कार्यशाला का दिनांक	स्थान	वन वृत्त	क्षेत्र संचालक	अनुसंधान विस्तार वृत्त
1	10.04.19	इन्दौर	इन्दौर, उज्जैन, खण्डवा	-	इन्दौर, रतलाम, झाबुआ, खण्डवा
2	12.04.19	होशंगाबाद	होशंगाबाद, भोपाल, बैतूल	सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद वन विहार भोपाल	बैतूल, भोपाल
3	15.04.19	ओरछा	छतरपुर, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी	पन्ना टा.रि., माधव रा.उ.	सागर, ग्वालियर
4	18.04.19	रीवा	रीवा, शहडोल	बांधवगढ़ टा.रि., उमरिया, संजय टा.रि., सिधी	रीवा
5	20.04.19	जबलपुर	जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट	कान्हा टा.रि., पेंच टा.रि.	जबलपुर, सिवनी

उक्त कार्यशाला में विभिन्न शाखाओं में पदस्थ उच्च अधिकारियों एवं क्षेत्र में पदस्थ मुख्य वन संरक्षक एवं वन मण्डलाधिकारियों को कार्यों में गति लाने, वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा संवर्धन एवं विकास कार्य हेतु आवश्यक निर्देश एवं सुझाव दिये गये। विस्तृत विवरण विभाग की website पर उपलब्ध है।



कार्यशाला का शुभारंभ बल प्रमुख जे.के. मोहन्ती द्वारा।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (अप्रैल-जून)

1	श्री अनुराग श्रीवास्तव	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, भोपाल
2	श्री ए.के.एस. चौहान	मुख्य वन संरक्षक, समन्वय, सतपुड़ा भवन, भोपाल
3	श्री अखिलेश अर्गल	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संचालक, अ.वि.वा.इ.ऑ.गु.पां.ए., भोपाल
4	श्री पी.एस. चम्पावत	मुख्य वन संरक्षक, बैतूल
5	श्री नाहर सिंह	मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, झाबुआ
6	श्री आर.एन. वर्मा	मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार, रीवा

2

प्रदेश में पहली बार सीड बॉल से रौपे जाएंगे एक करोड़ बीज

दक्षिण आफ्रीका की तर्ज पर राज्य का वन विभाग तैयार करा रहा सीड बॉल

भास्कर ब्यूरो भोपाल

वन विभाग इस साल सीड बॉल पद्धति से दो करोड़ बीज उगाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में फिडले दो माह से सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं। अब तक 70 लाख बीज तैयार हो चुके हैं। जबकि एक करोड़ बीज तैयार करने का लक्ष्य है। ये बीज मानसून की पहली बारिश के बाद जंगलों में फेंके जाएंगे। विभाग को उम्मीद है कि यह इस पद्धति से दो करोड़ बीज तैयार करने में सफल होगा। इसके अलावा विभाग इस साल साढ़े पांच करोड़ बीज अलग से लगा रहा है।

प्रदेश में यह पद्धति प्रयोग के तौर पर अपनाई जा रही है। सभी सामान्य और

संरक्षित वन क्षेत्रों में इस पद्धति से बीज जमीन में डाले जाएंगे। विभाग के अनुसार अब तक यह पद्धति से जमीन में फैला गया बीज बारिश में नहीं बरपा। निम्नसे ग्रोथ रेट अच्छी होगी। अभी तक बीज लगाने के अलावा जंगल में सीधे बीज फेंके जाते थे, जो तेज बारिश में बहकर एक नगद झट्टे हो जाते थे और एक साथ अंकुरित होने के कारण ज्यादा समय नहीं टिक पाते थे। वहीं बीजों की खरीद-फरोकाने भी पड़बड़ी होती थी। यह पता ही नहीं चल पाता था कि कितना बीज खरीद गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों के बीज भी सीड बॉल में ऐसी 15 प्रजातियों के बीज भी डाले गए हैं, जो खरबों में हैं। वहीं सामान्य रूप से जंगलों और छहससी क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रजातियों के बीज भी डाले गए हैं। इनमें गुलन, रोहण, बेल, पांडुर, बीजा, बोटोडा, खमोर, फलमा, सान, रिकनी, सलजगनी, शिखरगढ़, कुटन, अन्न, धावड़ा सहित अन्य प्रजातियां शामिल हैं।



इनका कहना है

प्रयोग के तौर पर यह पद्धति अपनाई जा रही है। अभी कमरों में बीज तैयार कराई जा रही हैं। अब तक 70 हजार बीज तैयार हो चुके हैं। एक करोड़ बीज जंगल में फेंके जाने लगे हैं। - डॉ. पीसी दुबे, एनईसीएफ, लोक बायोस्फी

क्या है सीड बॉल

सीड बॉल मिट्टी और खाद से बनी हुई एक बीज है, जिसमें बीज-बीज डालने गए हैं। जब अंकुरों का कलह है कि मांससू की पहली बारिश के बाद जब बीज जंगल में फेंके जाएंगे, तो मिट्टी नीचे होने के कारण बीज फैले गए खाद पर चिपक जाएंगे। इसके तेज बारिश में उनके बहने के खतरा नहीं रहेगा और बारिश का पानी पहले ही बीज की मिट्टी पर खाद के बीच फंसे बीज अंकुरित होने लगेगा। खाद होने के कारण अंकुरण तेजी से होगा और जल्दी सीधी जमीन में जाएंगे। अंकुरों का कलह है कि ऐसे बीजों के सरो की संख्या कम रहती है।

खर्च कम होगा

सीड बॉल प्रयोग सफल हुआ, तो पैकेटिंग पर हर साल खर्च होने वाली राशि में कटौत आ जाएगी। क्योंकि सीड बॉल एक टायर से भी कम कीमत में तैयार हो रहे हैं। जबकि बीजों को 10 से 15 टायर में तैयार होता है और टायर एक उस पर डेढ़ से टायर तक खर्च हो जाते हैं। जबकि बीजों को मजदूर लगाकर जंगलों में फिक्कलट जंगल है। इस तरह एक बीज लगभग पांच से सात टायर में बीजों की जगह ले लेगी।

Meeting held to prepare DPR for Narmada rejuvenation

■ Staff Reporter

WITH the objective to prepare Detail Project Report (DPR) for rejuvenation of Narmada river through forestry intervention, a State-level meeting involving multi-department was held by Tropical Forest Research Institute (Jabalpur) at MPF Federation office in State capital on Wednesday.

Various issues over how Narmada river could be rejuvenated were discussed at length. Dr G Rajeshwar Rao, ARS, Director, TFR, while welcoming the guests said that the institute is looking forward from the delegates to provide scientific and technical suggestions in their respective fields. C. Behara, IFS and Nodal Officer of the project presented an overview of land use patterns in Narmada basin and explained the scope and objectives of the project. The delegates consisted of experts from various central and State Government departments like State Forest Department, Forest Development Corporation, Central Water Commission, State Biodiversity Board, Barkatullah University, Indian Institute of Forest Management, National Institute of Technology, Narmada Valley Development Authority, Geological survey of India, Central Groundwater Board,



PCDF Dr U Prakasham and other forest officers releasing the report for preparation of DPR for rejuvenation of Narmada river through forestry intervention during the State-level meeting at MPF Federation office in State capital on Wednesday.

Environmental Planning and Co-ordination Organisation, Central Soil and Water Conservation, etc. J. Mohan, IFS, PCF and IAF, Madhya Pradesh Forest Department, while congratulating TFR for its initiative emphasised that Narmada river is the life line of Madhya Pradesh. He mentioned that in the recent past water flow at selected stretches has been needing specially during summer. He stressed that DPR must emphasise various soil and water conservation measures across the river basin. He was of the view that involving Joint Forest Management Committees would greatly help in rejuvenating the forest land adjoining the river. He assured extensive support of the Forest Department in preparation of DPR. Other Forest Officers (IFS) like Dr U Prakasham, B.B Singh, P.C. Dubey and Pankaj Singh gave valuable suggestions. Srinivasa Murthy, IFS, Member Secretary, Madhya Pradesh Biodiversity Board, emphasised that water is a living resource and the approach for rejuvenation of Narmada should be more of a restoration model rather than plantation models. He also stressed the importance of treating the headwaters of rivers and tributaries. Dr R.J. Rao, Vice Chancellor, Barkatullah University, informed that extensive work on aquatic ecosystem along with biodiversity documentation has been carried out at various locations of Narmada basin. He believed that this DPR would go a long way in reviving and rejuvenating Narmada. Dr. Rakesh Singh, Senior Scientist, Central Groundwater

Board, viewed that it is time now to document scientifically the forest area recharge measures rather than revenue lands alone. Dr R.S. Chaudhary, Senior Scientist from Indian Institute of Soil Science, Bhopal, while appreciating multi-disciplinary and co-ordinative approach stressed that base flow and e-flow of revenue village and forest village adjoining the river basin has to be documented. CK Pillai from Narmada Valley Development Authority informed that extensive work has already been carried out by the authority. He mentioned that lift irrigation schemes is increasing and many cities are coming under command area. Therefore, proper understanding of water budgeting and its utilisation has to be thoroughly discussed in the DPR. Dr Omprakash M.D., Professor, IFM, was of the view that socio-economic conditions of the farmers along the river basin has to be assessed as the water utilised by the farming community and pollution foot print is to be urgently addressed.

Various other officers shared their experiences and assured their extensive support in bringing out the DPR so that river Narmada regains its earlier glory. The programme was co-ordinated by Dr. Fatima Shirin and a vote of thanks was pronounced by Dr S. Saravanan.

तेंदुए की खाल के साथ चार गिरफ्तार

अनुपपुर, 25 जून. जबलपुर पुलिस ने तेंदुए की खाल सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है, बताया जाता है कि सोमवार को एसटीएफ जबलपुर की मोबाइल यूनिट को सूचना मिली की चार व्यक्ति दुबसरा रोड पुलिस के पास तेंदुआ की खाल बेचने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं।

सूचना मिलने पर गवाहों व एसटीएफ यूनिट जबलपुर के निरीक्षक गणेश सिंह ठाकुर, सड़न निहार अली, सड़न रघुवीर सिंह अपनी टीम को साथ लेकर ग्राम दुबसरा पुलिस के पास पहुंचे जहां चार व्यक्ति दो मोटर साइकल के साथ रोड किनारे खड़े मिले, जानकारी अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी रामकुमार पिता आश्रम वनवासी व सुनील कुमार पिता सविंद लाल वनवासी उम्र 26 वर्ष ग्राम बसंतपुर शिवाला टोला,



मुकेश कुमार पिता कमला प्रसाद महारा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम करौंदी थाना राजेद ग्राम, रंगीला पिता सुखलाल कोल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम करौंदी के हैं, कार्यवाही के दौरान आरोपी सुनील कुमार वनवासी हाथ में एक सफेद रंग की बोरी रखे थे जिसे गवाहों के समक्ष खोला गया, बोरी में तेंदुआ खाल, चित्तीदार खाल रखी हुई थी, उक्त

तेंदुआ खाल रखने के संबंध में आरोपियों से वैधानिक दस्तावेज चाहे गये जो वे पैसा नहीं कर सके, उक्त तेंदुआ खाल की कीमत पांच लाख रुपये बताई जा रही है, आरोपियों के कंचे से खाल के साथ ही दो मोटर साइकल जप्त की गई हैं, आरोपियों विरुद्ध अपराध क्रमांक 110/19 थारा 5,9,51 गन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 कायम किया गया,

गढ़ी के जंगलों में पकड़ाए भोपाल के शिकारियों से तीन वाहन, बंदूकों सहित मांस और अंग बरामद नीलगाय और मोर के मांस के साथ तीन शिकारी पकड़े गए

पीपुल्स संवाददाता ● गैरतगंज
मो.नं. 9806961011

राम रजपुरा के पास खेत में बने फार्म जस में वन विभाग की टीम ने नीलगाय एवं मोर के मांस के साथ तीन शिकारियों को पकड़ा, जबकि दो जार हो गए। आरोपियों में भोपाल के हेहेफिजा निवासी दो सगे भाई असार कुरैशी और कमाल कुरैशी हैं, जिनको रजपुरा में कृषि भूमि है। सरा शिकारी रहंस है। दो आरोपी आजम एवं शमीम अंधेरे का फायदा कर फरार हो गए। शिकारियों से आरोपियों 04 सोएम 6453, हुंडई न तवेरा जीजे 5 जीवी 4267 को



वन अमल की हिरासत में आरोपी और उनसे बरामद हथियार व मांस। जब्त किया। साथ ही शिकारियों से तीन बंदूकें जिनमें 315 बोर, 12 बोर, 22 बोर की हैं, चार जिंदा कारतूस, टार्च, धारदार चाकू, नील गाय के सोंग, हड्डियां, मांस बरामद किया गया है।

खेत पर फार्म हाउस में चलती थी गतिविधियां

जिस जगह ये पूरी कार्रवाई की, वह घर मुख्य आरोपी असार कुरैशी एवं कमाल कुरैशी कोहेफिजा भोपाल का है। वह रजपुरा ग्राम के पास कृषि भूमि खरीदकर कई वर्षों से खेती करवाते थे, जिसकी आड़ में लंबे समय से शिकार कर रहे थे। दोनो भाइयों द्वारा लंबे समय से बाहरी लोगों को फार्म हाउस में लाकर शिकार करवाया जाता था। शनिवार को सूचना पर वन अमल को इन्हे घेराबंदी कर रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल हुई। इस कार्रवाई में गढ़ी रेंजर रजनीश शुक्ला, डिप्टी

रेंजर नारायण सिंह रघुवंशी, वनपाल राकेश राय, वनरक्षक मुमताज खान, वनपाल पुना मुनिया, नरेंद्र मिश्रा, अनुराग रघुवंशी, हरिशंकर दुबे, लतीफ खान सहित वन अमला मौजूद रह। आरोपियों के खिलाफ कच्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल वन विभाग की गिरफ्त में तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। शिकार में उपयोग की गई बंदूक लायसेंसहीन तथा इनकी जांच की जा रही है।

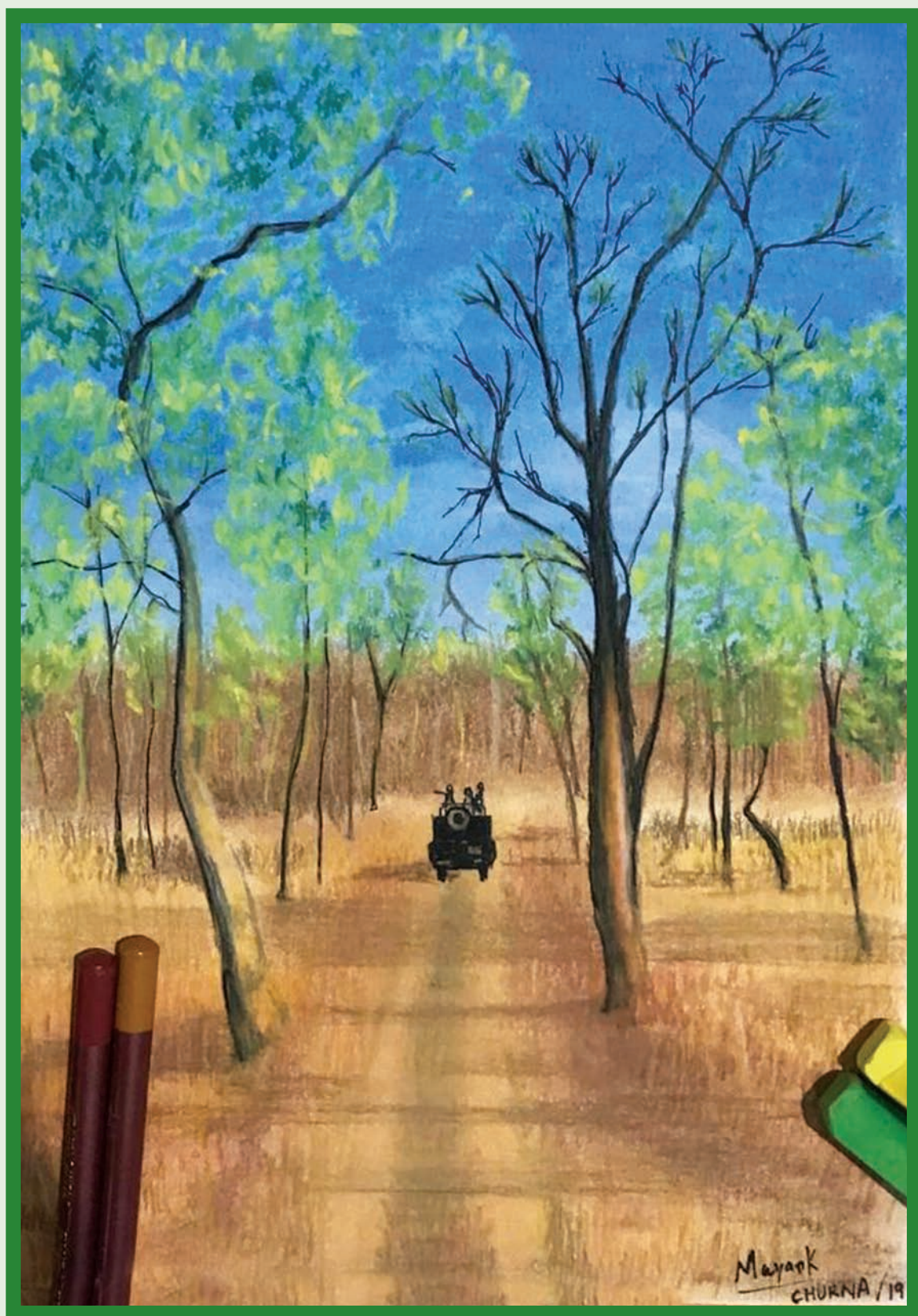
सूरज सदा रोहिणी में ही

- (1) तपे अलावों से दिन होंगे, भट्टी जैसी रात मिलेगी।
हमने घात करी कुदरत से, कुदरत से भी घात मिलेगी।
- (2) सूरज सदा रोहिणी में ही विचरण करता हुआ दिखेगा,
पूरे साल नौतपा होगा, शोलों की बरसात मिलेगी।
- (3) जो बोया वैसा काटेंगे, इसमें कोई नहीं है संशय,
नई नस्ल को केवल केवल, ठूँठों की सौगात मिलेगी।
- (4) हम शतरंज दे रहे ऐसा अपनी आगामी पीढ़ी को,
हर खाने में शह भी होगी हर खाने में मात मिलेगी।
- (5) वृक्ष हीन जो हुई धरा तो सारा गणित बिगड़ जायेगा,
कितना घटे, जुड़ेगा पानी, ठंडक किस अनुपात मिलेगी।
- (6) मुमकिन है ये पड़े देखना, राशन में मिलता हो पानी,
जलस्रोतों पर फौज किसी दिन पहरों पर तैनात मिलेगी।
- (7) 'जीवनमय' यह ग्रह 'पृथ्वी' फिर हो जाएगी मंगल ग्रह सी,
झंझावातों की सूरत में पुरवाई की जात मिलेगी।
- (8) सगर तरस रहा नदियों को, नदियां तरस रहीं घाटी को,
घाटी तरस रही पेड़ों को, दुर्दिन की सौगात मिलेगी।
- (9) आस पास की घाटी हमने कर डाली है इतनी बंजर,
थोड़ी सी भी हरियाली अब, पार समंदर सात मिलेगी।
- (10) हमने नहीं विरासत रखी सही सलामत 'पुरखों' वाली,
जाने कितने 'बच्चों' से अब सुनने को यह बात मिलेगी।

रत्नदीप खरे

वन विस्तार अधिकारी - झाबुआ

मो. नं. - 9826043425





Published by :- APCCF (R/E) on behalf of MP Forest Department.
 Printed by :- Super Printers & Plastics Works on behalf of Madhya Pradesh Madhyam.
 Printed at :- Super Printers & Plastics Works, Plot No. 22 Nadeem House, Press Complex Zone 1 MP Nagar, Bhopal.
 Published at Room No. 140, Prachar Prasar Prakosth, Satpura Bhawan, Bhopal, M.P.
 Email :- pracharprasarprakosth@mp.gov.in, Contact No. 0755-2524293, Editor :- Dr. P.C. Dubey, APCCF (R/E)